



भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना  
मानव संसाधन प्रबंध विभाग

ई-निविदा सूचना

भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना के कार्यालय एवं आवासीय परिसर में निजी सुरक्षा गार्ड की तैनाती हेतु  
निविदा

विषयसूची

खंड/अनुलग्नक	विवरण	पृष्ठ सं.
<b>भाग I</b>		
	ई-निविदा सूचना	2
खंड-I	ई-टेंडर के लिए महत्वपूर्ण निर्देश	6
खंड-II	निविदाकारों को निर्देश	10
	तकनीकी बोली - सामान्य निर्देश	15
	तकनीकी बोली - बुनियादी जानकारी	30
<b>भाग II</b>		
	वित्तीय बोली	35
अनुलग्नक - I	अनुभव का विवरण	37
अनुलग्नक - II	सुरक्षा गार्ड प्रदान करने वाली फर्म/कंपनी के प्रदर्शन के संबंध में ग्राहक का प्रमाणपत्र	38
अनुलग्नक - III	कार्य दंड खण्ड	39
अनुलग्नक - IV	सुरक्षा गार्ड और पर्यवेक्षकों की पोस्टिंग विवरण (A-सशस्त्र, UA-निहत्थे, S-पर्यवेक्षक)	43



## ई-निविदा सूचना

भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना के कार्यालय और आवासीय परिसर में निजी सुरक्षा गार्ड की तैनाती के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है

भारतीय रिज़र्व बैंक आवासीय क्वार्टरों और मुख्य कार्यालय भवन, भा.रि.बैं. पटना के लिए निजी सुरक्षा पर्यवेक्षक और निजी सुरक्षा गार्ड प्रदान करने के लिए निजी सुरक्षा एजेंसी को नियुक्त करने के लिए ई-निविदा आमंत्रित करता है।

टेंडरिंग एमएसटीसी लिमिटेड के ई-टेंडरिंग पोर्टल (<http://mstcecommerce.com>) के जरिए की जाएगी। सभी इच्छुक कंपनियों/एजेंसियों/फर्मों को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उपर्युक्त वेबसाइट के माध्यम से एमएसटीसी लिमिटेड के साथ खुद को पंजीकृत करना होगा। ई-निविदा की अनुसूची इस प्रकार है:

क. ई-निविदा क्रमांक	RBI/Patna Regional Office/Estate/7/23-24/ET/360/[Security Guards- BMOP and Col]
ख. निविदा का तरीका	ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली (ऑनलाइन भाग I - तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और भाग II - मूल्य बोली के माध्यम से <a href="http://mstcecommerce.com">http://mstcecommerce.com</a> )
ग. एनआईटी की तारीख पार्टियों को डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है	09 जनवरी 2024 को अपराह्न 03:00 बजे
घ. बोली-पूर्व बैठक	05 फरवरी 2024 को अपराह्न 03:00 बजे स्थान: भारतीय रिज़र्व बैंक, दूसरी मंजिल, दक्षिण गांधी मैदान, पटना।
ड. i. बयाना राशि जमा	₹6,08,283/- का भुगतान NEFT द्वारा 1) NEFT - भा.रि.बैं., खाता संख्या-186003001, आईएफएससी कोड: RBIS0PTPA01 (5वां और 10वां अंक शून्य है) कृपया आवेदन करते समय यूटीआर लेनदेन विवरण का उल्लेख करें।
ii. निविदा शुल्क	शून्य
च. ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	19 फरवरी 2024 को अपराह्न 02:00 बजे
छ. भा.रि.बैं. पटना में ऑनलाइन तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली जमा करने के लिए ई-निविदा शुरू होने की तिथि	09 जनवरी 2024 को अपराह्न 03:00 बजे <a href="http://mstcecommerce.com">http://mstcecommerce.com</a>

ज. तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली जमा करने के लिए ऑनलाइन ई-निविदा बंद होने की तिथि।	19 फरवरी 2024 को अपराह्न 02:00 बजे
झ. भाग-I (अर्थात तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) के खुलने की तिथि और समय भाग-II मूल्य बोली: भाग II के खुलने की तिथि की सूचना अलग से दी जाएगी	19 फरवरी 2024 को अपराह्न 03:00 बजे
ञ. लेन-देन शुल्क (ई-निविदा में भाग लेने के लिए विक्रेताओं द्वारा एमएसटीसी ई-पेमेंट गेटवे के माध्यम से एमएसटीसी को अलग से जमा किया जाना है)	जैसा कि उल्लेख किया गया है, लेनदेन शुल्क का भुगतान एमएसटीसी लिमिटेड के पक्ष में एमएसटीसी भुगतान गेटवे के माध्यम से एमएसटीसी पोर्टल/एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा

आवेदन करने के इच्छुक आवेदकों को आवश्यक पात्रता रखने के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करके बैंक को संतुष्ट करना होगा और ऐसा करने में विफल रहने की स्थिति में, बैंक उनकी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बिना ईएमडी के निविदाएं किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं की जाएंगी।

बैंक न्यूनतम निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक बिना कोई कारण बताए सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

भविष्य में जारी किए गए निविदा में कोई भी संशोधन / शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, केवल भारि.बैं. वेबसाइट ('निविदाएं' लिंक के तहत) और एमएसटीसी वेबसाइट पर ऊपर दिए गए अनुसार अधिसूचित किया जाएगा और समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

**क्षेत्रीय निदेशक**  
**भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना**



## भारतीय रिज़र्व बैंक पटना

### ई-निविदा सूचना - भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना के कार्यालय और आवासीय परिसरों में निजी सुरक्षा गार्ड की तैनाती के लिए निविदा

भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना में बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर और आवासीय कॉलोनियों में निजी सुरक्षा पर्यवेक्षकों और निजी सुरक्षा गार्डों की तैनाती के लिए स्थापित और प्रतिष्ठित संस्थाओं से ई-निविदा आमंत्रित करता है। केवल उन कंपनियों/फर्मों को ही काम के लिए आवेदन करना होगा जिनके पास समान प्रकृति का काम करने और निविदा में उल्लिखित अनुबंध मूल्य के साथ सरकारी विभागों/सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के संस्थानों को सेवाएं प्रदान करने का पांच साल का अनुभव है। यह अनुबंध प्रारंभ में मार्च 2025 तक वैध रहेगा और वार्षिक समीक्षा के आधार पर इसे दो साल (एक बार में एक वर्ष) के लिए बढ़ाया जा सकता है। अनुबंध का विस्तार बैंक के विवेक पर निर्भर होगा।

निविदा एमएसटीसी लिमिटेड के ई-टेंडरिंग पोर्टल (<http://mstcecommerce.com>) के माध्यम से की जाएगी। सभी इच्छुक कंपनियों/एजेंसियों/फर्मों को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उपर्युक्त वेबसाइट के माध्यम से एमएसटीसी लिमिटेड के साथ खुद को पंजीकृत करना होगा। **ई-निविदा की अनुसूची पैरा 1.1 में विस्तृत है (पेज 5)**

इच्छुक निविदाकारों को **बयाना राशि के रूप में** भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना को एनईएफटी के माध्यम से **₹6,08,283/- का भुगतान करना होगा।**

आवेदन करने के इच्छुक आवेदकों को आवश्यक पात्रता रखने के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करके बैंक को संतुष्ट करना होगा और ऐसा करने में विफल रहने की स्थिति में, बैंक उनकी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बिना ईएमडी के निविदाएं किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं की जाएंगी।

बैंक न्यूनतम निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक बिना कोई कारण बताए सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

भविष्य में जारी किए गए निविदा में संशोधन/शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, केवल ऊपर दिए गए अनुसार भा.रि.बैं. वेबसाइट और एमएसटीसी वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा और समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

क्षेत्रीय निदेशक,  
भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना

## 1.1 निविदा प्रक्रिया की अनुसूची

क.	कार्य की अनुमानित लागत	₹3.05 करोड़ प्रति वर्ष
ख.	डीडी/बैंक गारंटी/एनईएफटी के माध्यम से ईएमडी और डीडी/बैंक गारंटी के लेनदेन विवरण (यूटीआर नंबर या स्कैन की गई प्रतियां (पीडीएफ में) <a href="mailto:achoudhary@rbi.org.in">achoudhary@rbi.org.in</a> को सूचित/अग्रेषित करें और <a href="http://mstcecommerce.com">http://mstcecommerce.com</a> पर अपलोड करें	₹6,08,283/- का भुगतान NEFT द्वारा NEFT - भा.रि.बैं. , खाता संख्या-186003001, आईएफएससी कोड: RBIS0PTPA01 (5वाँ और 10वाँ अंक शून्य हैं)। कृपया आवेदन करते समय यूटीआर ट्रांसेक्शन विवरण का उल्लेख करें।
ग.	निष्पादन बैंक गारंटी:	ठेकेदार द्वारा संविदात्मक दायित्वों की उचित पूर्ति के लिए अनुबंध की पूरी अवधि के लिए अनुबंध मूल्य के 5% के बराबर राशि के लिए निष्पादन बैंक गारंटी। (अनुलग्नक-VI)
घ.	निविदा दस्तावेज डाउनलोड किए जा सकते हैं	<a href="http://mstcecommerce.com">http://mstcecommerce.com</a>
ङ.	बोली-पूर्व बैठक की तिथि और स्थान	05 फरवरी 2024 को अपराह्न 03:00 बजे । स्थान: भारतीय रिजर्व बैंक, मासंप्रवि, दक्षिण गांधी मैदान, पटना।
च.	पूर्ण बोली जमा करने की अंतिम तिथि	19 फरवरी 2024 को अपराह्न 02:00 बजे
छ.	भाग I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोलियाँ) खोलने की तिथि और समय	19 फरवरी 2024 को अपराह्न 03:00 बजे
ज.	भाग- II (वित्तीय बोलियाँ) खोलने की तिथि और समय	तकनीकी-वाणिज्यिक बोलियों की जांच के बाद निविदा के भाग I में अर्हता प्राप्त करने वाले सभी निविदाकारों को सूचित किया जाएगा
झ.	प्रारंभ तिथि	जैसा कि कार्य आदेश/निविदा/एनआईटी में निर्दिष्ट है
ञ.	<b>निविदा की वैधता</b>	<b>टेक्नो-कमर्शियल बोली खोलने की तारीख से 90 दिन</b>
ट.	उत्पन्न होने वाले सभी विवाद क्षेत्राधिकार के अधीन	पटना
ठ.	प्रेषण हेतु पता निविदा/बोलियाँ	क्षेत्रीय निदेशक भारतीय रिजर्व बैंक दक्षिण गांधी मैदान, पटना- 800001

**अनुभाग-(I)**  
**ई-टेंडर हेतु महत्वपूर्ण निर्देश**

बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे अपना ऑनलाइन टेंडर जमा करने से पहले इस टेंडर के नियम और शर्तें पढ़ लें।

1. **ई-टेंडर की प्रक्रिया:**

**A. पंजीकरण :** इस प्रक्रिया में एमएसटीसी ई-खरीद पोर्टल के साथ विक्रेता का पंजीकरण शामिल है जो निःशुल्क है। पंजीकरण के बाद ही, विक्रेता अपनी बोलियाँ इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। तकनीकी बोली के साथ-साथ वाणिज्यिक बोली जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली इंटरनेट पर लगाई जाएगी। विक्रेता के पास **क्लास III** हस्ताक्षरित प्रकार का डिजिटल प्रमाणपत्र होना चाहिए। विक्रेताओं को इंटरनेट से जुड़े पीसी से बोली लगाने की अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी। ऐसी व्यवस्था करने के लिए एमएसटीसी जिम्मेदार नहीं है। (डिजिटल हस्ताक्षर के बिना बोलियां दर्ज नहीं की जाएंगी)।

विशेष नोट: तकनीकी बोली और वाणिज्यिक बोली <http://mstcecommerce.com> पर ऑनलाइन जमा होनी चाहिए

1. विक्रेताओं को निम्नलिखित पथ का अनुसरण करते हुए पंजीकृत होना होगा:  
<http://mstcecommerce.com> → ई-प्रोक्योरमेंट → पीएसयू/सरकारी विभाग → भा.रि.बैं. लोगो का चयन करें -> विक्रेता के रूप में पंजीकरण करें - विवरण भरना और स्वयं का उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड बनाना → सबमिट
2. विक्रेताओं को उनके ईमेल में उनके पंजीकरण की पुष्टि करने वाला एक सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा जो पंजीकरण फॉर्म भरने के दौरान प्रदान किया गया है।

किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में, कृपया भा.रि.बैं. /एमएसटीसी से संपर्क करें, (ई-निविदा के निर्धारित समय से पहले)।

**संपर्क व्यक्ति (भा.रि.बैं. पटना):**

श्री अमन चौधरी, प्रबंधक (कार्मिक)

ईमेल- [achoudhary@rbi.org.in](mailto:achoudhary@rbi.org.in)

श्री अभिषेक वर्मा, सप्र (सुरक्षा)

ईमेल: [abhishekverma@rbi.org.in](mailto:abhishekverma@rbi.org.in)

श्री सचिन सिंह, सप्र

ईमेल: [sachinsingh1@rbi.org.in](mailto:sachinsingh1@rbi.org.in)

**संपर्क व्यक्ति (एमएसटीसी लिमिटेड):**

एमएसटीसी सेंट्रल हेल्पडेस्क नंबर - 033-23400020/23400021/23400022

ईमेल आईडी- [helpdesk@mstcindia.co.in](mailto:helpdesk@mstcindia.co.in)

(i) श्री अमित कुमार – [akgoutam@mstcindia.co.in](mailto:akgoutam@mstcindia.co.in) मोबाइल-9886624201

(ii) श्री सब्यसाची मुखर्जी – [smukherjee@mstcindia.co.in](mailto:smukherjee@mstcindia.co.in) मोबाइल-7278030407

<p><b>B. सिस्टम आवश्यकता:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. विंडोज 7 या उससे ऊपर का ऑपरेटिंग सिस्टम</li> <li>ii. IE-7 और उससे ऊपर का इंटरनेट ब्राउज़र।</li> <li>iii. हस्ताक्षर प्रकार डिजिटल हस्ताक्षर</li> <li>iv. प्रणाली में नवीनतम अद्यतन JRE 8 (x86 ऑफ़लाइन) सॉफ़्टवेयर डाउनलोड और इंस्टॉल किया जाना है।</li> </ol> <p>डीएससी को हस्ताक्षरकर्ता बॉक्स में प्रदर्शित करने के लिए "संरक्षित मोड" को अक्षम करने के लिए निम्नलिखित सेटिंग्स लागू की जा सकती हैं।</p> <p>उपकरण =&gt; इंटरनेट विकल्प =&gt; सुरक्षा =&gt; यदि सक्षम है तो संरक्षित मोड को अक्षम करें- यानी, "संरक्षित मोड सक्षम करें" का उल्लेख करते हुए टिक बॉक्स से टिक हटा दें।</p>
--

<p>अन्य सेटिंग:</p> <p>उपकरण =&gt; इंटरनेट विकल्प =&gt; सामान्य =&gt; "ब्राउज़िंग इतिहास/ब्राउज़िंग इतिहास हटाएं" के अंतर्गत सेटिंग्स पर क्लिक करें =&gt; अस्थायी इंटरनेट फ़ाइलें =&gt; "हर बार जब मैं वेबपेज पर जाता हूं" सक्रिय करें।</p> <p><a href="http://mstcecommerce.com">http://mstcecommerce.com</a> पेज से IE सेटिंग्स एक बार चलाएं)</p>
<p>2. टेक्नो-कमर्शियल बोली और मूल्य बोली <a href="http://mstcecommerce.com">http://mstcecommerce.com</a> पर ऑनलाइन जमा करनी होगी। निविदा में दी गई निर्दिष्ट तिथि और समय पर निविदाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएंगी।</p>
<p>3. निविदा में सभी प्रविष्टियाँ बिना किसी अस्पष्टता के ऑनलाइन तकनीकी और वाणिज्यिक प्रारूप में दर्ज की जानी चाहिए।</p>
<p>4. <b>लेनदेन शुल्क:</b></p> <p>विक्रेताओं को विक्रेता लॉगिन में "माई मेनू" के अंतर्गत "लेन-देन शुल्क भुगतान" लिंक का उपयोग करके लेन-देन शुल्क का भुगतान करना होगा। विक्रेताओं को इवेंट ड्रॉपडाउन बॉक्स से विशेष निविदा का चयन करना होगा। विक्रेता के पास एनईएफटी या ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा होगी। एनईएफटी का चयन करने पर, विक्रेता एक फॉर्म भरकर चालान तैयार करेगा। विक्रेता को बिना कोई बदलाव किए चालान पर छपे विवरण के अनुसार लेनदेन शुल्क राशि जमा करनी होगी। ऑनलाइन भुगतान का चयन करने पर, विक्रेता को अपने क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग का उपयोग करके भुगतान करने का प्रावधान होगा। एक बार जब भुगतान एमएसटीसी के निर्दिष्ट बैंक खाते में जमा हो जाता है, तो लेन-देन शुल्क स्वतः अधिकृत हो जाएगा और विक्रेता को एक सिस्टम जनित मेल प्राप्त होगा।</p> <p><b>लेनदेन शुल्क वापसी योग्य नहीं है।</b></p> <p>लेन-देन शुल्क का भुगतान किए बिना विक्रेता को ऑनलाइन ई-निविदा तक पहुंच नहीं मिलेगी।</p> <p><b>टिप्पणी:</b></p> <p>बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे आयोजन के समापन समय से पहले ही लेन-देन शुल्क जमा कर दें ताकि उन्हें बोली जमा करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।</p>

5.	बोली आदि जमा करने की तारीखों के विस्तार के संबंध में शुद्धिपत्र या नोटिस निविदा को अंतिम रूप देने तक निविदा प्रक्रिया के दौरान केवल एमएसटीसी पोर्टल और भा.रि.बैं. वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। विक्रेताओं को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि एमएसटीसी के साथ विक्रेता के पंजीकरण के समय प्रदान की गई उनकी कॉर्पोरेट ईमेल आईडी वैध और अद्यतन है। विक्रेताओं से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपने डीएससी (डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट) की वैधता सुनिश्चित करें।
6.	एनआईटी में उल्लिखित नियत तिथि और समय के बाद ई-निविदा अप्राप्य हो जाएगी।

7.	<p><b>ई-टेंडर में बोली लगाना:</b></p> <p>क. निविदा में ऑनलाइन बोली लगाने के लिए पात्र होने के लिए विक्रेता को आवश्यक ईएमडी, निविदा शुल्क और लेनदेन शुल्क (यदि कोई हो) जमा करना होगा। निविदा शुल्क और लेन-देन शुल्क वापसी योग्य नहीं हैं। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। असफल विक्रेताओं की ईएमडी निविदा आमंत्रित प्राधिकारी द्वारा वापस कर दी जाएगी।</p> <p>ख. इस प्रक्रिया में तकनीकी और वाणिज्यिक बोली जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली शामिल है।</p> <p>ग. जिन विक्रेताओं ने लेनदेन शुल्क जमा किया है वे केवल एमएसटीसी वेबसाइट पर इंटरनेट के माध्यम से अपनी तकनीकी बोली और वाणिज्यिक बोली इस पथ का अनुसरण करते हुए जमा कर सकते हैं <a href="http://mstcecommerce.com">http://mstcecommerce.com</a> → ई-खरीद → पीएसयू/सरकारी विभाग → भा.रि.बैं. के तहत लॉगिन → मेरा मेनू → नीलामी तल प्रबंधक → लाइव इवेंट → लाइव इवेंट का चयन।</p> <p>घ. विक्रेता को जावा एप्लिकेशन चलाने की अनुमति देनी चाहिए। यह अभ्यास बिड फ्लोर खुलने के तुरंत बाद करना होगा। फिर उन्हें सामान्य शर्तें/वाणिज्यिक विशिष्टताएं भरनी होंगी और उसे सहेजना होगा। इसके बाद टेक्निकल बिड पर क्लिक करें। यदि यह एप्लिकेशन नहीं चलाया जाता है, तो विक्रेता अपनी तकनीकी बोली को सहेजने/जमा करने में सक्षम नहीं होगा।</p> <p>ङ. तकनीकी बोली भरने के बाद, विक्रेता को अपनी तकनीकी बोली रिकॉर्ड करने के लिए 'सेव' पर क्लिक करना चाहिए। एक बार ऐसा हो जाने पर, वाणिज्यिक बोली लिंक सक्रिय हो जाता है और उसे भरना होता है और फिर विक्रेता को अपनी वाणिज्यिक बोली रिकॉर्ड करने के लिए "सहेजें" पर क्लिक करना चाहिए। फिर एक बार जब तकनीकी बोली और वाणिज्यिक बोली दोनों सहेज ली जाती है, तो विक्रेता अपनी बोली पंजीकृत करने के लिए "अंतिम सबमिशन" बटन पर क्लिक कर सकता है।</p> <p>च. विक्रेताओं को दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए <b>अटैच डॉक बटन का उपयोग करने का निर्देश दिया गया है।</b> एकाधिक दस्तावेज़ अपलोड किए जा सकते हैं।</p> <p>छ. सभी मामलों में, विक्रेता को अपनी बोली जमा करते समय डिजिटल हस्ताक्षर के साथ अपनी आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए।</p> <p>ज. संपूर्ण ई-टेंडर प्रक्रिया के दौरान, विक्रेता एक-दूसरे के लिए और बाकी सभी के लिए भी पूरी तरह से गुमनाम रहेंगे।</p> <p>झ. ई-टेंडर प्लेटफॉर्म पूर्व-घोषित तिथि और समय से और ऊपर बताई गई अवधि तक खुला रहेगा।</p> <p>ञ. ई-टेंडर प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत की गई सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियां विक्रेता पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी। किसी भी बोली को उस विक्रेता द्वारा पेश की गई एक वैध बोली माना जाएगा और क्रेता द्वारा इसकी स्वीकृति क्रेता और विक्रेता के बीच निष्पादन के लिए एक बाध्यकारी अनुबंध बन जाएगी।</p> <p>ट. यह अनिवार्य है कि सभी बोलियां डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के साथ प्रस्तुत की जाएं अन्यथा सिस्टम द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।</p>
----	--



	<p>ठ. निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी के पास <b>कोई कारण बताए बिना, जैसा भी मामला हो, निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से रद्द करने या अस्वीकार करने या स्वीकार करने या वापस लेने या बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित है।</b></p> <p>ड. निविदा दस्तावेज़ के नियमों और शर्तों में कोई विचलन स्वीकार्य नहीं है। किसी भी विक्रेता द्वारा ई-टेंडर प्लोर में बोली जमा करना निविदा के लिए नियमों और शर्तों की उसकी स्वीकृति की पुष्टि करता है।</p>
8.	इस निविदा के परिणामस्वरूप कोई भी आदेश इसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों द्वारा शासित होगा।
9.	तकनीकी और वाणिज्यिक नियमों और शर्तों में किसी भी विचलन की अनुमति नहीं है। बोली जमा करने की अंतिम तिथि के बाद अपलोड की गई बोलियों में सुधार की भी अनुमति नहीं है।
10.	निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी को बिना कोई कारण बताए इस ई-निविदा को रद्द करने या बोली(ओं) की प्राप्ति की नियत तारीख को बढ़ाने का अधिकार है।
11	<b>विक्रेता</b> बोली लगाने से पहले <b>विक्रेता गाइड</b> पढ़ें और सिस्टम का परिचय प्राप्त करने के लिए <a href="http://mstcecommerce.com">http://mstcecommerce.com</a> पेज पर वीडियो देखें। तकनीकी सहायता के लिए, MSTC अधिकारियों से 05224244702/05224240445 पर पहले ही संपर्क किया जा सकता है और बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय में किसी भी हड़बराहट से बचें। यदि एमएसटीसी से किसी तकनीकी सहायता की आवश्यकता है, तो बोलीदाताओं को ई-निविदा समापन दिवस से कम से कम एक दिन पहले एमएसटीसी से संपर्क करना होगा और अपने सभी प्रश्नों का समाधान करना होगा।

## खंड- (II) निविदाकारों को निर्देश

2.1 भारतीय रिज़र्व बैंक, मानव संसाधन प्रबंधन विभाग, पटना पात्र निविदाकारों से **दो भागों** में <http://mstcecommerce.com> पर ऑनलाइन ई-निविदाएं आमंत्रित करता है। निविदाकारों को **भाग I** (तकनीकी बोली) और **भाग II** (वित्तीय बोली) ऑनलाइन जमा करना होगा।

### 2.2 ई-निविदा दस्तावेज़:

2.2.1 निविदा में दो दस्तावेज़ (भाग-I और भाग-II) शामिल होंगे। भाग-I में इस उद्देश्य के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किसी भी कार्यक्रम, परिशिष्ट या शुद्धिपत्र आदि के साथ-साथ तकनीकी और वाणिज्यिक पात्रता शर्तें (सभी अनुभाग और अनुलग्नक) शामिल हैं।

भाग-II में केवल वित्तीय बोली शामिल है।

2.2.2 निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे ई-निविदा दस्तावेज़ों का गहन अध्ययन करें। ई-निविदा प्रस्तुत करना ई-निविदा दस्तावेज़ों के सावधानीपूर्वक अध्ययन और परीक्षण के साथ इसके निहितार्थों की पूरी समझने के बाद किया गया माना जाएगा।

### 2.3 निविदा दस्तावेज़ प्राप्त करना:

(a) ई-निविदा दस्तावेज़/निविदा आमंत्रण सूचना <http://mstcecommerce.com> से डाउनलोड किया जा सकता है

(b) इच्छुक पार्टियाँ, यदि चाहें, तो किसी भी अन्य स्पष्टीकरण के लिए निविदा में दर्शाए गए फोन/ई-मेल पर प्रबंधक (कार्मिक) से संपर्क कर सकती हैं।

### 2.4 बोली-पूर्व बैठक

भारतीय रिज़र्व बैंक परियोजना के संबंध में निविदाकारों के किसी भी प्रश्न का उत्तर देने/स्पष्टीकरण प्रदान करने और उन्हें संबंधित जानकारी देने के लिए ई-निविदा सूचना में उल्लिखित समय और स्थान पर बोली-पूर्व बैठकें आयोजित करेगा।

### 2.5 ई-निविदा दस्तावेज़ में संशोधन

2.5.1 बोली जमा करने की अंतिम तिथि से पहले किसी भी समय, भारतीय रिज़र्व बैंक, किसी भी कारण से, चाहे अपनी पहल पर या संभावित निविदाकर्ता द्वारा उठाए गए स्पष्टीकरण या प्रश्न के जवाब में, ई-निविदा को संशोधित कर सकता है और संभावित बोलीदाताओं की जानकारी के लिए इसे संशोधन द्वारा शुद्धिपत्र के रूप में [www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in) पर अपलोड किया जाएगा।

2.5.2 ऐसे संशोधनों को ध्यान में रखते हुए संभावित बोलीदाताओं को अपनी बोलियां तैयार करने के लिए उचित समय देने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक, अपने विवेक से, बोलियां जमा करने की समय सीमा बढ़ा सकता है।

### 2.6 निविदा की तैयारी

#### 2.6.1 भाग I / तकनीकी - वाणिज्यिक बोली

(i) सभी **खंड** और **अनुलग्नक** तकनीकी-वाणिज्यिक बोली का हिस्सा हैं। सभी खंडों और अनुलग्नकों पर निविदाकारों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

(ii) निविदाकार को विभिन्न खंडों में निर्दिष्ट सभी विवरण भरने होंगे और पत्रक/आवश्यक दस्तावेज़/उत्पाद का ब्रोशर आदि संलग्न करना होगा।

- (iii) ईएमडी तकनीकी-कमर्शियल बोली का हिस्सा होगा। ईएमडी की राशि खंड 1.1(b) में इंगित की गई है
- (iv) निविदाकर्ताओं को सभी दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति अपलोड करके निविदा में बताए गए पूर्व योग्यता मानदंड और अन्य दस्तावेजों के लिए सभी दस्तावेज <http://mstcecommerce.com> पर जमा करने होंगे।

## 2.6.2 भाग II/वित्तीय बोली:

- (i) **बोली की मुद्रा:** बोली की कीमतें केवल भारतीय रुपये में उद्धृत की जाएंगी। इन कीमतों में काम से जुड़े जेबखर्च/जुटाव खर्च, उपकरण, कर्मचारी की पोषाक, निविदा में उल्लिखित अन्य सभी रसद, सभी कर (**जीएसटी सहित**), शुल्क, लेवी, उपकर, बीमा परिवहन, प्रवेश कर, श्रम, अन्य सरकारी कर, केंद्र सरकार की न्यूनतम मजदूरी और ईपीएफ/ईएसआई योगदान, आदि **नियमानुसार लागू** सभी लागतें शामिल हैं।
- (ii) किसी भी अस्पष्टता से बचने के लिए कीमत को पूरी तरह से मूल्य अनुसूची के अनुरूप उद्धृत किया जाना चाहिए और कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ना चाहिए।
- (iii) निविदाकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मूल्य अनुसूची के सभी कॉलम विधिवत भरे हुए हैं और कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ा गया है। भाग II/वित्तीय बोली खोलने के बाद, भा.रि.बैं. द्वारा किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (iv) यदि मूल्य अनुसूची का कोई भी कॉलम खाली पाया जाता है तो संबंधित निविदाकारों की निविदा को गैर- उत्तरदायी माना जाएगा, और भा.रि.बैं. द्वारा सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा और आगे की ईएमडी जब्त कर ली जाएगी। हालाँकि, आवश्यकता पड़ने पर बैंक इस मामले में निविदा खंड के अनुसार समीक्षा भी कर सकता है।

**2.6.3** प्रत्येक निविदाकर्ता के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह उन सभी स्थानीय स्थितियों और कारकों से पूरी तरह परिचित हो, जिसका अनुबंध के प्रदर्शन और लागत पर कोई प्रभाव पड़ेगा। एक बार निविदाकारों द्वारा प्रस्ताव स्वीकार कर लेने के बाद किसी भी स्थानीय स्थिति या कारक के कारण सेवा की डिलीवरी की कीमत या समय-सारिणी में बदलाव के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

## 2.7 बोलियों की वैधता की अवधि

खंड 1.1(J) में निर्दिष्ट अवधि के लिए भा.रि.बैं. द्वारा स्वीकृति के लिए वैध रहेंगी। आवश्यकता पड़ने पर इस अवधि को आपसी सहमति से आगे भी बढ़ाया जाएगा।

## 2.8 बयाना राशि जमा (ईएमडी) / बोली सुरक्षा:

2.8.1 निविदाकर्ता को एनईएफटी के माध्यम से "भारतीय रिजर्व बैंक, पटना" को खाता संख्या 186003001, IFSC RBIS0PTPA01 में जमा करके ₹6,08,283/- की ईएमडी प्रदान करनी होगी। बोली सुरक्षा एनईएफटी के रूप में होगी। बोली सुरक्षा/ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

**2.8.2 ईएमडी के साथ न आने वाली बोलियों को गैर-उत्तरदायी माना जाएगा और भा.रि.बैं. द्वारा उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।**

2.8.3 असफल बोलीदाताओं की ईएमडी सफल बोली लगाने वाले को काम सौंपने के बाद भा.रि.बैं. द्वारा वापस कर दी जाएगी।

**2.8.4 सफल बोलीदाता की ईएमडी निविदा शर्तों के अनुसार बैंक गारंटी जमा करने के बाद, बिना ब्याज के, बोलीदाता को वापस कर दी जाएगी। (अनुलग्नक-VI)**

## **2.9 ईएमडी की जब्ती/वापसी**

**निम्नलिखित परिस्थितियों में ईएमडी जब्त कर ली जाएगी:**

- (i) प्रस्तुत प्रपत्रों, बयानों और अनुलग्नकों में भ्रामक या गलत अभ्यावेदन करने, किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी, अदालत में लंबित किसी भी कानूनी कार्यवाही का विवरण छिपाने, अन्यथा पात्रता मानदंड पर कोई प्रभाव पड़ने; या
- (ii) निविदाकर्ता द्वारा भाग II/वित्तीय बोली के कॉलम को खाली छोड़ देने या कई वित्तीय बोलियाँ प्रस्तुत करने;
- (iii) किसी निविदाकार द्वारा बोली वैधता अवधि के दौरान अपनी बोली वापस लेने, या
- (iv) निविदाकर्ता को किसी भी सरकारी एजेंसी, पीएसयू द्वारा ब्लैकलिस्ट किया गया है और ब्लैकलिस्टिंग अभी भी लागू है।
- (v) सफल निविदाकार के मामले में, यदि वह निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने में विफल रहता है।

**ईएमडी की वापसी निम्नलिखित के अनुसार होगी -**

- (i) सफल बोली लगाने वाले को कार्य आदेश जारी करने के बाद असफल बोली लगाने वालों को 100% ईएमडी वापस कर दी जाएगी ;
- (ii) वैध निष्पादन बैंक गारंटी की प्राप्ति के बाद सफल बोली लगाने वाले को 100% ईएमडी वापस कर दी जाएगी।

## **2.10 बोलियां जमा करने की प्रक्रिया**

इस टेंडर के लिए **टू-पार्ट सिस्टम** रखने का प्रस्ताव है

### **2.10.1 टेक्नो - वाणिज्यिक बोली/भाग I में निम्नलिखित मद शामिल हैं**

- (a) भाग I/तकनीकी - वाणिज्यिक बोली (सभी खंड और अनुलग्नक) **(भाग I/तकनीकी - वाणिज्यिक बोली और काम का नाम जैसा कि 1.1 के खंड में उल्लिखित है)** "कृपया ध्यान दें कि कीमतों को भाग I/तकनीकी - वाणिज्यिक बोली में दर्शाया नहीं जाना चाहिए। तकनीकी-वाणिज्यिक बोली <http://mstcecommerce.com> पर प्रस्तुत की जा सकती है।
- (b) दस्तावेजी प्रमाण ऑनलाइन <http://mstcecommerce.com> पर अपलोड किया जाना चाहिए
- (c) बयाना जमा राशि का **भुगतान विवरण** संलग्न किया जाएगा।

### **2.10.2 भाग II/वित्तीय बोली**

भाग II/वित्तीय बोली "(भाग II/वित्तीय बोली और कार्य का नाम जैसा कि 1.1 के खंड में उल्लिखित है)" <http://mstcecommerce.com> पर प्रस्तुत किया जा सकता है।

2.11 कोई सशर्त/वैकल्पिक उद्धरण स्वीकार नहीं किया जाएगा।

2.12 निविदाकर्ताओं को बोलियां प्राप्त होने के बाद अपनी बोलियों में परिवर्तन या संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

## 2.13 ई-निविदाएं प्राप्त करना

निविदा की अनुसूची में उल्लिखित निर्धारित समय और तारीख तक ई-निविदाएं स्वीकार की जाएंगी। नियत तिथि/समय के बाद प्राप्त ई-निविदाओं पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

## 2.14 भाग I का उद्घाटन

तकनीकी-वाणिज्यिक बोलियां मासंप्रवि, भा.रि.बैं. पटना में निविदा की अनुसूची में उल्लिखित निर्धारित समय और तारीख पर खोली जाएंगी। यदि निविदाकर्ता या उनके अधिकृत प्रतिनिधि चाहें तो उपस्थित हो सकते हैं।

## 2.15 भाग I की जांच

2.15.1 भाग I का मूल्यांकन निविदा के भाग 1 में दर्शाए गए तकनीकी-वाणिज्यिक नियमों, शर्तों और पात्रता मानदंडों के अनुसार किया जाएगा।

2.15.2 भाग I के मूल्यांकन के बाद, चुने गए निविदाकारों के बारे में सभी सूचीबद्ध निविदाकारों को ई- ईमेल द्वारा सूचित किया जाएगा। भाग I पर बैंक का निर्णय अंतिम होगा और चर्चा के लिए खुला नहीं होगा।

## 2.16 भाग II/वित्तीय बोली खोलना

चयनित सूचीबद्ध निविदाकारों का भाग II बाद में खोला जाएगा और ऐसे निविदाकारों को तदनुसार तारीख और समय के बारे में सूचित किया जाएगा। यदि चयनित निविदाकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि चाहें तो उपस्थित रह सकते हैं।

## 2.17 भाग II की जांच

भाग II का मूल्यांकन न्यूनतम बोली (L1) निर्धारित करने के लिए उद्धृत एकमुश्त वित्तीय बोलियों के साथ-साथ व्यक्तिगत मदवार बोलियों (यदि आवश्यक हो) के आधार पर किया जाएगा।

भा.रि.बैं. न्यूनतम या किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा और बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी प्रस्तावों को अस्वीकार करने का हकदार होगा।

2.18 बैंक को ऑर्डर देने/अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के समय मात्रा में बदलाव करने का अधिकार है।

## 2.19 किसी भी बोली को स्वीकार करने और किसी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का बैंक का अधिकार

ऊपर उल्लिखित किसी भी बात के बावजूद, भा.रि.बैं. के पास अनुबंध देने से पहले किसी भी समय किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है, जिससे प्रभावित निविदाकर्ता या निविदाकारों पर कोई दायित्व नहीं आएगा।

बैंक किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं बताएगा। भा.रि.बैं.

**निम्नलिखित कारणों से अनुबंध प्रदान करने से पहले किसी भी स्तर पर चयन प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है:**

- यदि कोई बोली प्राप्त नहीं होती है।
- किसी घटना के कारण चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाना संभव नहीं है।
- संभावित सहयोग/शरारत का सबूत, चयन प्रक्रिया की प्रतिस्पर्धा और पारदर्शिता में हेरफेर, कोई अन्य कारण, जो बैंक की राय में चयन प्रक्रिया को रद्द करने का कारक है।

- (d) ऐसी कोई भी घटना होने पर, भा.रि.बैं. 14 दिनों के भीतर या किसी भी उचित समय के भीतर सभी निविदाकारों को ऐसे निर्णय के बारे में सूचित करेगा। भा.रि.बैं. ऐसे नोटिस जारी होने के बाद 21 दिनों या किसी भी उचित समय के भीतर निविदाकर्ताओं द्वारा जमा की गई बोली सुरक्षा को तुरंत वापस कर देगा। भा.रि.बैं. इस संबंध में किसी भी निविदाकर्ता को कोई कारण या स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य नहीं है। इस खंड के तहत भा.रि.बैं. की देनदारी बोली सुरक्षा वापस करने तक ही सीमित है और इस खाते पर बैंक द्वारा किसी भी प्रकार की लागत/व्यय की कोई अन्य प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।
- (e) यदि बैंक को लगता है कि उपरोक्त खंड (a) से (d) के तहत प्राप्त बोलियां आर्थिक रूप से या अन्यथा व्यवहार्य नहीं हैं या उपरोक्त कारणों से स्वीकार्य नहीं हैं, तो बैंक प्रक्रिया को फिर से निविदा देने या किसी सरकारी एजेंसी या अर्ध सरकारी एजेंसी से काम कराने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ।
- (f) बैंक निविदाकर्ता द्वारा अतिरिक्त शर्तें निर्धारित करने को हतोत्साहित करता है।

## 2.20 विवाद:

### 2.20.1 मध्यस्थता द्वारा विवादों का निपटारा

किसी भी प्रकार के सभी विवाद और मतभेद, जो अनुबंध से या उसके संबंध में या कार्यों को पूरा करने से उत्पन्न होते हैं (चाहे कार्यों की प्रगति के दौरान या उनके पूरा होने के बाद और चाहे अनुबंध के परित्याग या उल्लंघन के निर्धारण से पहले या बाद में), बैंक द्वारा संदर्भित और निपटाए जाएंगे, और बैंक लिखित रूप में अपना निर्णय बताएगा। ऐसा निर्णय अंतिम प्रमाणपत्र के रूप में या अन्यथा हो सकता है।

पार्टियों के बीच कोई विवाद या मतभेद उत्पन्न होने की स्थिति में इसे क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, पटना को भेजा जाएगा जिनका निर्णय अंतिम और दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा। हालाँकि, यदि पक्ष अभी भी संतुष्ट नहीं हैं, तो मामले को एकमात्र मध्यस्थ के पास भेजा जाएगा जिसकी नियुक्ति पार्टियों की आपसी सहमति के आधार पर होगी। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) या उसके किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार मध्यस्थता आयोजित की जाएगी और उसके तहत बनाए गए नियम और उस समय लागू होने वाले नियम मध्यस्थता पर लागू होंगे। इस प्रावधान के तहत मध्यस्थ का निर्णय अंतिम और पार्टियों पर बाध्यकारी होगा।

किसी भी अपवादित मामले के संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा। लेकिन यदि निविदाकार बैंक के निर्णय से असंतुष्ट है, तो ठेकेदार ऐसे निर्णय की सूचना प्राप्त होने के 28 दिनों के भीतर, बैंक को एक लिखित नोटिस दे सकता है कि विवाद वाले मामलों पर मध्यस्थता की जाए। इस तरह के लिखित नोटिस में विवादित मामलों को निर्दिष्ट किया जाएगा। यदि दोनों पक्ष सहमत हैं, तो विक्रेता के परामर्श से बैंक द्वारा इस उद्देश्य के लिए एक एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया जाएगा। यदि एकल मध्यस्थ की नियुक्ति पर कोई सहमति नहीं बन पाती है, तो दोनों पक्ष अपनी ओर से एक-एक व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में नामित करेंगे। पार्टियों द्वारा नामित दो मध्यस्थ पीठासीन मध्यस्थ को नामित करेंगे। मध्यस्थ या मध्यस्थों के पास, जैसा भी मामला हो, किसी भी प्रमाणपत्र, राय, निर्णय, मांग या नोटिस को खोलने, समीक्षा करने और संशोधित करने और मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत किए गए विवाद के सभी मामलों को निर्धारित करने की शक्ति होगी जिनकी सूचना उपरोक्तानुसार दी गई है। मध्यस्थ या मध्यस्थ, जैसा भी मामला हो, संदर्भ दर्ज करने की तारीख से मध्यस्थता और

सुलह अधिनियम, 1996 के तहत निर्दिष्ट अवधि के भीतर अपना निर्णय देगा। यदि मध्यस्थता की कार्यवाही के दौरान पक्षकार आपसी सहमति से अपने विवाद या मतभेद को सुलझा लेते हैं या समझौता कर लेते हैं, तो पक्षकारों द्वारा समझौते या समझौते का संयुक्त ज्ञापन दायर करने पर, मध्यस्थ या मध्यस्थ, जैसा भी मामला हो, ऐसे निपटान के संदर्भ में एक फैसला देगा। मध्यस्थता न्यायाधिकरण की फीस सहित मध्यस्थता कार्यवाही मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रा विभिन्न वधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों द्वारा शासित होगी।

मध्यस्थता का स्थान पटना होगा। मध्यस्थ का शुल्क, यदि कोई हो, निविदा दिए जाने और प्रकाशित होने से पहले भुगतान किया जाना अपेक्षित हो, तो प्रत्येक पक्ष द्वारा आधीआधी राशि का भुगतान - मध्यस्थ का शुल्क) किया जाएगा। संदर्भ और निविदा दिए जाने की लागत, यदि कोई हो, सहित(, मध्यस्थ के विवेकाधिकार के अंतर्गत होगी, जो किसी को यह निर्देश दे सकते हैं कि किसके द्वारा एवं किस माध्यम से, इस प्रकार की लागत या इसके किसी भाग का भुगतान किया जाएगा और इस प्रकार भुगतान की जाने वाली राशि का निर्धारण या भुगतान करेंगे।

इस प्रस्तुतिकरण को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 या उसके किसी भी वैधानिक संशोधन के अर्थ में मध्यस्थता के लिए प्रस्तुतीकरण माना जाएगा। मध्यस्थ या मध्यस्थों का निर्णय , जैसा भी मामला हो, अंतिम होगा और पार्टियों पर बाध्यकारी होगा।

इस बात पर सहमति है कि ठेकेदार ऐसे किसी भी मामले, प्रश्न या विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजे जाने के कारण काम को पूरा करने में देरी नहीं करेगा, बल्कि पूरे परिश्रम के साथ काम को आगे बढ़ाएगा और मध्यस्थ या मध्यस्थ के निर्णय होने तक बैंक के निर्णय का पालन करेगा।

मध्यस्थ या मध्यस्थ का कोई भी निर्णय, जैसा भी मामला हो, ठेकेदार को कार्यों के वास्तविक निष्पादन के संबंध में बैंक के निर्देशों का सख्ती से पालन करने के उसके दायित्वों से मुक्त नहीं करेगा। बैंक और ठेकेदार इस बात पर भी सहमत हैं कि इस खंड के तहत मध्यस्थता अनुबंध के तहत कार्रवाई के किसी भी अधिकार की एक शर्त होगी।

2.20.2 मध्यस्थता प्रक्रिया की विफलता के मामले में उत्पन्न होने वाले सभी विवाद पटना में सक्षम न्यायालय के विशेष क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे।

स्थान:

(निविदाकर्ता के मोहर सहित हस्ताक्षर)

तारीख:

(नाम)

## तकनीकी बोली (भाग-1)

### अनुबंध के आधार पर सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने के लिए फर्मों/कंपनियों की नियुक्ति

#### सामान्य निर्देश

भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना 'बैंक की आवासीय कॉलोनियों/कार्यालय/भूखंडों की सुरक्षा (अर्थात लोगों की आवाजाही की निगरानी) के लिए अनुबंध के आधार पर सुरक्षा पर्यवेक्षक (पूर्व सैनिक/अर्धसैनिक) और सुरक्षा गार्ड प्रदान करने में लगी प्रतिष्ठित फर्मों/कंपनियों से निविदाएं आमंत्रित करता है। अनुबंध शुरुआत में मार्च 2025 तक निजी सुरक्षा एजेंसी (पीएसए)/फर्म को दिया जाएगा। हालांकि, तैनात कर्मचारियों के संतोषजनक प्रदर्शन और संविदात्मक दायित्वों के पालन के अधीन अनुबंध को दो साल (एक बार में एक वर्ष) के लिए बढ़ाया जा सकता है।

2. बैंक की आवासीय कॉलोनियों/खाली भूखंडों/कार्यालय में तैनात किए जाने वाले सुरक्षा पर्यवेक्षक और सुरक्षा गार्डों की अनुमानित संख्या इस प्रकार होगी:

(a) **सुरक्षा पर्यवेक्षक:** 7 @ 8 घंटे प्रति पाली की ड्यूटी सप्ताह में सभी सात दिनों में ।

(b) **सुरक्षा गार्ड:** 59 @ 8 घंटे प्रति शिफ्ट की ड्यूटी सप्ताह के सभी सातों दिन (48 निहत्थे और 11 सशस्त्र) (विवरण के लिए अनुबंध IV देखें)

बैंक को कार्य सौंपने से पहले या अनुबंध की अवधि के दौरान किसी भी समय तैनात किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ाने या घटाने का अधिकार सुरक्षित है।

### 3. निविदाकर्ताओं के लिए सामान्य निर्देश और विशेष शर्तें (पूर्व- योग्यता मानदंड)

निविदाकार को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा और इसके समर्थन में दस्तावेज़ जमा करना होगा:

पीएसए को ईओआई के साथ दस्तावेजी प्रमाण की प्रतियां जमा करनी होंगी और इनमें से किसी भी मानदंड के अनुरूप नहीं होने वाले पीएसए पैनल में शामिल होने या शॉर्ट लिस्टिंग के लिए योग्य नहीं होंगे:

- A. सुरक्षा गार्ड की सेवाएं प्रदान करने के लिए पीएसए को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत प्रतिष्ठित पंजीकृत कंपनियां होनी चाहिए।
- B. प्रत्येक राज्य के लिए अलग-अलग वैध PSARA 2005 लाइसेंस के साथ न्यूनतम तीन राज्यों में उपस्थिति होनी चाहिए और पटना में उनका अपना कार्यालय/शाखा होनी चाहिए । सफल बोलीदाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि पीएसए के पास पूरे कार्य अवधि के दौरान बिहार में वैध पीएसएआरए लाइसेंस है, ऐसा न करने पर बैंक द्वारा एक महीने का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।



C. **31 मार्च, 2023 तक** कम से कम 05 वर्षों तक (सुरक्षा गार्ड प्रदान करने के लिए) व्यवसाय में लगातार रहना चाहिए।

**ग्राहक सूची** - एजेंसी को अपने ग्राहकों की सूची प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें पिछले पांच वर्षों के दौरान उनके द्वारा किए गए कार्यों का विवरण दिखाया गया हो। **सूची में ग्राहक का नाम, निष्पादित कार्य का मूल्य, कार्य की शुरुआत और समाप्ति की तारीख, देरी के कारण**, यदि कोई हो, जैसे विवरण शामिल होंगे।

**अनुभव** - एजेंसी को पांच साल के न्यूनतम अनुभव के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए।

**केवाईसी** - दस्तावेजी प्रमाण की प्रतियां जैसे कि निगमन प्रमाणपत्र, आईटी रिटर्न, पैन कार्ड, आदि संलग्न करना होगा।

D. **अनुमानित लागत और पिछले कार्यों की लागत** - अनुबंध की अनुमानित लागत **लगभग तीन करोड़ पाँच लाख रूपये** (₹3,05,00,000 रूपये) है। एजेंसी को 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले पिछले पांच वर्षों के दौरान समान कार्यों (सुरक्षा गार्ड प्रदान करने) को सफलतापूर्वक पूरा करने के अनुभव का प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक है। निम्नानुसार (कार्य आदेशों की प्रतियां जमा करें):

- (i) तीन समान कार्य (सुरक्षा गार्ड प्रदान करना) प्रत्येक की लागत ₹1,21,65,653/- (अनुमानित लागत का 40%) से कम नहीं होनी चाहिए
- (ii) दो समान कार्य (सुरक्षा गार्ड प्रदान करना) प्रत्येक की लागत ₹1,52,07,066 से कम नहीं - (अनुमानित लागत का 50%) **या**
- (iii) एक समान कार्य (सुरक्षा गार्ड प्रदान करना) जिसकी लागत ₹2,43,31,306/- से कम न हो। (अनुमानित लागत का 80%)।

E. **प्रशिक्षण और शारीरिक फिटनेस के मानक** - पीएसए बिहार निजी प्रतिभूति एजेंसी नियम, 2011 के तहत निर्धारित सुरक्षा पर्यवेक्षक/गार्ड के प्रशिक्षण और शारीरिक फिटनेस आवश्यकताओं का सख्ती से पालन करेगा।

F. पीएसए के पास विश्वसनीय पर्यवेक्षी अवसंरचना और नेटवर्क होना चाहिए।

G. पीएसए के पास पूरे बिहार राज्य के लिए "निजी सुरक्षा एजेंसियां (विनियमन) अधिनियम, 2005" के तहत वैध लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस अनुबंध की अवधि के दौरान वैध रहना चाहिए और समय-समय पर नवीनीकृत किया जाना चाहिए।

किसी भी कारण से बिहार सरकार द्वारा विक्रेता के पीएसएआरए लाइसेंस को रद्द करने पर अनुबंध रद्द हो जाएगा और अनुबंध को रद्द करने या समाप्त करने से संबंधित नियम और शर्तें पैरा 21 और पैरा 22 में उल्लिखित हैं। यदि लाइसेंस रद्द करने का आदेश रद्द करने के आदेश की तारीख से 60 दिनों से अधिक समय के भीतर या बैंक द्वारा तय किए गए उचित समय के भीतर बैंक के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो अनुबंध की समाप्त हो जाएगा।

- H. **प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज़ -**
- (i) पीएसए को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत कंपनी रजिस्ट्रार के पास पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रतियां जमा करनी चाहिए।
  - (ii) पीएसए को मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रस्तुत करना चाहिए।
  - (iii) पिछले 3 वित्त वर्ष अर्थात 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न और पैन कार्ड की प्रति।
  - (iv) पिछले 3 वित्त वर्ष यानी 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के लिए ऑडिटेड बैलेंस शीट, 31 मार्च 202 को समाप्त पिछले तीन वित्तीय वर्षों में पीएसए का औसत कारोबार प्रत्येक वर्ष ₹ तीन करोड़ पांच लाख (₹3,05,00,000) से कम नहीं होनी चाहिए।
  - (v) दुकान एवं स्थापना अधिनियम के तहत वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र।
  - (vi) ईएसआई कॉर्पोरेशन से प्रमाणपत्र (नवीनतम)।
  - (vii) ईपीएफ और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के तहत ईपीएफ संगठन से प्रमाण पत्र। (नवीनतम)।
  - (viii) अनुबंध श्रम अधिनियम (विनियमन एवं उन्मूलन) 1970 के तहत वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र।
  - (ix) सेवा कर के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र।
  - (x) मौजूदा प्रमुख नियोक्ताओं से निष्पादन प्रतिक्रिया।
- I. पीएसए को न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948, अन्य श्रम कानूनों और लागू केंद्रीय नियमों का पालन करना चाहिए।
- J. पीएसए का पटना में एक कार्यालय होना चाहिए, जिसमें टेलीफोन हो और पटना में 24X7 नियंत्रण कक्ष (आपातकालीन प्रतिक्रिया कक्ष) होना चाहिए।
- K. **अनुभव** न्यूनतम तीन सरकारी संस्थान /निकाय/प्रतिष्ठान (आवासीय परिसर सहित) या प्रतिष्ठित संस्थान जिनमें प्रत्येक प्रतिष्ठान में न्यूनतम 40 सुरक्षा गार्ड की तैनाती हो (कार्य आदेश संलग्न करें)। पीएसए को तीन संदर्भ साइटें प्रस्तुत करनी चाहिए और भा.रि.बैं. के अनुरोध पर रेफरी को भा.रि.बैं. की संतुष्टि के लिए पीएसए के प्रदर्शन के बारे में गवाही देनी चाहिए।
- L. पीएसए के पास कम से कम 500 सुरक्षा गार्ड तैनात होने चाहिए। तैनात सुरक्षा गार्डों की संख्या दर्शाने वाली सुरक्षा सेवाओं के लिए ईपीएफओ, ईएसआईसी चालान, वैध कार्य आदेश की प्रति संलग्न की जानी चाहिए।
- M. पीएसए को कार्य के प्रयोजन के लिए विशेष रूप से ₹ तीन करोड़ पांच लाख (₹3,05,00,000) की राशि के लिए अपने बैंकर से सॉल्वेंसी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए। सॉल्वेंसी प्रमाणपत्र निर्गमन की तिथि 31 मार्च 2023 से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए।
- N. पीएसए के पास ISO 9001-2008 या SA 8000 या OHSAS 1800 प्रमाणीकरण में से कोई एक प्रमाणन होना चाहिए।

- O. निविदाकर्ता फर्मों/कंपनियों का अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में चालू खाता होना चाहिए और उन्हें एक वचन देना चाहिए कि वे इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवा (एनईएफटी/आरटीजीएस/ईसीएस) के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने के लिए तैयार हैं।

उपरोक्त के अलावा, पीएसए को अपनी प्रोफ़ाइल के बारे में विवरण प्रस्तुत करना चाहिए।

**उपरोक्त सभी पंजीकरण और प्रमाणपत्र केवल कंपनी के नाम पर होने चाहिए।**

#### **4. कार्य का दायरा**

##### **A. सुरक्षा पर्यवेक्षक द्वारा किया जाने वाला कार्य**

- (i) सुरक्षा पर्यवेक्षक शिफ्ट के दौरान अपने सुरक्षा गार्डों के सभी कार्यों के लिए जवाबदेह होता है। वह शिफ्ट-वार सुरक्षा तैनाती की निगरानी करेगा और सभी कर्मचारियों को दिन के विशिष्ट निर्देशों की जानकारी देगा।
- (ii) वह मुख्य गेट गार्ड के माध्यम से यह सुनिश्चित करेगा कि व्यक्तियों, सामग्री और वाहनों की सभी प्रवेश और निकास गतिविधियां अधिकृत हैं और की जाती हैं। जब तक अधिकृत न किया जाए, किसी गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (iii) ड्यूटी पर शिफ्ट लगाने से पहले, पर्यवेक्षक कर्मचारियों की उपस्थिति की जांच करेगा, प्रत्येक गार्ड को उसकी पोस्ट ड्यूटी के बारे में जानकारी देगा और लागू होने पर संबंधित पोस्ट के लिए दिन के लिए कोई विशिष्ट निर्देश देगा। ड्यूटी पर गार्ड की गतिशीलता अत्यंत महत्वपूर्ण है जिसे ड्यूटी शुरू करने से पहले उनके दिमाग में अच्छी तरह से बिठाया जाना चाहिए।
- (iv) बाहर जाने वाले /आने वाले कामगारों, ठेका श्रमिकों, ठेकेदारों और विक्रेताओं की जांच की निगरानी करेगा।
- (v) अपने चेकिंग दौर के दौरान उसे अपने जिम्मेदारियों के क्षेत्र में किसी भी असामान्य गतिविधियों की जानकारी एकत्र करने का प्रयास करना चाहिए, यदि दिखे तो सबसे पहले सुधारात्मक/निवारक कार्रवाई करे और साथ ही केयर टेकर और सुरक्षा अधिकारियों को इसके बारे में सूचित रखे।
- (vi) वह मुख्य द्वारों के रखरखाव और उच्चतम मानक की हाउसकीपिंग सुनिश्चित करेगा और नियमित कार्य के लिए तैनात सभी सुरक्षा उपकरणों और उपकरणों की कार्यप्रणाली सुनिश्चित करेगा।
- (vii) वह स्थानीय पुलिस, केयरटेकर, सुरक्षा अधिकारी और निवासी कल्याण संघ के साथ संपर्क बनाए रखेगा और होने वाले किसी भी बदलाव के बारे में हमेशा अपडेट रहेगा और अपने सुरक्षा गार्डों को इसकी जानकारी देगा।
- (viii) वह आगंतुकों के मामले में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेगा। वह यह सुनिश्चित करेगा कि वह और उनका स्टाफ अंदर आने वाले या बाहर जाने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ सभ्य व्यवहार बनाए रखे।

- (ix) वह किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने में स्वीकार करने और सहायता/मार्गदर्शन के लिए हमेशा तैयार रहेगा।
- (x) पर्यवेक्षक को अग्नि सुरक्षा कार्यों में विधिवत प्रशिक्षित किया जाएगा। उसे कॉलोनियों में स्थापित विभिन्न अग्निशामक यंत्रों को चलाने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और वह किसी भी दुर्घटना या आग की आपात स्थिति के मामले में अपने उपलब्ध कर्मचारियों की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहेगा। वह सुरक्षा गार्डों को अग्नि सुरक्षा पर नियमित प्रशिक्षण प्रदान करेगा।
- (xi) उसे अपने कर्मचारियों के प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से औचक निरीक्षण करना चाहिए।
- (xii) पर्यवेक्षक निर्धारित प्रारूपों के अनुसार शिफ्ट दस्तावेज बनाए रखेगा, आगंतुकों से मिलेगा और आगंतुकों के लिए गेट की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्हें उस स्थान के लिए सम्मानपूर्वक मार्गदर्शन करेगा जहां उन्हें जाना है।
- (xiii) अपनी शिफ्ट के दौरान वह तैनात गार्डों द्वारा कर्तव्यों के प्रभावी निर्वहन की जांच करने और सुनिश्चित करने के लिए सभी पोस्टों पर अनिवार्य रूप से घूमेगा और जहां आवश्यक महसूस होगा वहां ब्रीफिंग करेगा। ऐसा करते समय वह अपनी अनुपस्थिति के दौरान गेट की गतिविधियों की देखभाल के लिए मुख्य द्वारपाल को जिम्मेदार बनाएगा।
- (xiv) शिफ्ट पर्यवेक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि सभी फोन कॉल तुरंत प्राप्त किए जाएं और जहां आवश्यक हो, संबंधित संदेश को नोट कर लिया जाए और अगले उपलब्ध होने पर संबंधित व्यक्तियों/अधिकारियों तक पहुंचा दिया जाए।
- (xv) सुरक्षा गार्डों द्वारा जल पंप संचालन सुनिश्चित करे।
- (xvi) वह राउंड के दौरान सुरक्षा गार्डों की सतर्कता के अलावा लाइट, फिटिंग, फेंसिंग आदि की जांच करेगा। जब भी वह कोई नग्न/ढीली विद्युत फिटिंग देखता है, तो उसे तुरंत विद्युत ठेकेदार और केयर टेकर को सूचित करना चाहिए और संबंधित शिकायत पुस्तिका में अवलोकन भी दर्ज करना चाहिए।
- (xvii) रात्रि पाली पर्यवेक्षक प्रभावी जांच के लिए सजगता बनाए रखने के लिए एकाधिक बार लेकिन अनियमित समय पर पोस्टों पर जाएंगे।
- (xviii) ड्यूटी के अंत में वह सुरक्षा गार्डों/सुरक्षा पर्यवेक्षकों को अपनी शिफ्ट के दौरान किए गए सभी कार्यों/कर्तव्यों और लंबित कार्यों, यदि कोई हो, के बारे में जानकारी देगा।

(xix) सुरक्षा कर्मचारियों की निगरानी के लिए पर्यवेक्षक को अन्य साइटों (अन्य संपत्तियों और भूखंडों जहां निजी सुरक्षा गार्ड तैनात किए जाएंगे) का दौरा करने की भी आवश्यकता होगी। बैंक उसके आने-जाने का खर्च वहन नहीं करेगा।

(xx) एजेंसी पर्यवेक्षक के पद पर पर्याप्त बैलेंस के साथ समर्पित मोबाइल भी उपलब्ध कराएगी और यह मोबाइल हमेशा पोस्ट पर ड्यूटी पर्यवेक्षक के पास रहेगा। बैंक इस हेतु कोई भी लागत वहन नहीं करेगा।

(xxi) बैंक द्वारा सौंपे गए कोई अन्य कर्तव्य।

## B. सुरक्षा गार्डों द्वारा किया जाने वाला कार्य:

- (i) सुरक्षा गार्डों का मुख्य कर्तव्य परिसर में आने वाले व्यक्तियों पर नजर रखना और जहां भी उन्हें तैनात किया जाएगा, प्रवेश और निकास के दौरान सामग्री की जांच करना होगा। (कर्तव्यों का विवरण अलग से प्रदान किया जाएगा)।
- (ii) सुरक्षा/जांच चौकियों पर तैनात सुरक्षा गार्डों को सतर्क रहना चाहिए और अपनी चौकियों पर उपलब्ध रहना चाहिए। नियमित रूप से पेट्रोलिंग की जाए और इसका समय-समय पर रिकार्ड रखा जाए।
- (iii) गार्ड प्रवेश/निकास द्वारों के साथ-साथ कॉलोनी के अंदर की गतिविधियों पर नजर रखेंगे और कोई भी असामान्यता पाए जाने पर तुरंत ड्यूटी पर मौजूद पर्यवेक्षक को सूचित किया जाएगा।
- (iv) कर्मचारियों, निवासियों और मेहमानों के साथ विनम्र व्यवहार रखेंगे।
- (v) संविदा कर्मियों के साथ विनम्र लेकिन दृढ़ व्यवहार रखेंगे लेकिन काम में अनावश्यक बाधा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए।
- (vi) गार्ड स्वयं को ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं करेंगे जिन्हें उन्हें जांचना और रोकना है।
- (vii) खासकर रात की पाली में ड्यूटी करने वाला कोई भी गार्ड कभी भी सोता हुआ नहीं मिलेगा। ड्यूटी पर सोते हुए पाए जाने पर गार्ड को भा.रि.बैं. की सभी संपत्तियों से हटाना होगा और सुरक्षा एजेंसी पर जुर्माना प्रावधान के अनुसार आर्थिक दंड लगाया जाएगा।
- (viii) मुख्य द्वार पर गार्ड सभी आगंतुकों, वाहनों के लिए एक लॉग बुक बनाए रखेगा और घरेलू सहायकों, ठेकेदारों, श्रमिकों आदि के मामले में एक अलग लॉग बुक बनाए रखेगा।
- (ix) सुरक्षा गार्ड कॉलोनियों में निर्धारित समय पर पानी पंप का संचालन सुनिश्चित करेंगे।
- (x) गश्ती ड्यूटी पर तैनात गार्डों को पूरे परिसर में खुले में लगे सभी पानी के नल, वाल्व, जल हाइड्रेंट आदि की देखभाल करनी चाहिए।
- (xi) ड्यूटी पर तैनात गार्ड बैंक परिसर के भीतर स्थित पार्किंग स्थलों पर खड़े सभी वाहनों पर भी नजर रखेंगे।
- (xii) गार्ड को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सड़क के कुत्ते और आवारा मवेशी परिसर में प्रवेश न करें।
- (xiii) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि फूलों के पौधों, पेड़ों और लॉन को कर्मचारियों या बाहरी लोगों द्वारा नुकसान न पहुंचे।

- (xiv) वरिष्ठ सुरक्षा गार्ड/सुरक्षा गार्ड को मौके पर उपलब्ध आग बुझाने वाले सिलेंडरों और अन्य अग्निशमन सामग्री की मदद से आग बुझाने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। वे आग बुझाने या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा में अग्निशमन कर्मचारियों की भी मदद करेंगे।
- (xv) आपातकालीन स्थितियों में, तैनात सुरक्षा कर्मचारी भी बैंक की आपदा योजना, यदि कोई हो, में परिभाषित अपनी भूमिका के अनुसार भाग लेंगे। वरिष्ठ सुरक्षा गार्ड/सुरक्षा गार्ड को ऐसी स्थितियों में उनकी भूमिका के प्रति संवेदनशील बनाया जाना चाहिए
- (xvi) ड्यूटी पर तैनात कोई भी सुरक्षा गार्ड तब तक परिसर नहीं छोड़ेगा जब तक उसका रिलीवर ड्यूटी पर रिपोर्ट न कर दे।
- (xvii) बाद में बैंक की सलाह पर दिए गए किसी भी अन्य प्रावधान को समझौते में शामिल किया जा सकता है। यह एजेंसी पर भी बाध्यकारी होगा।
- (xviii) सुरक्षा में सुधार के लिए बैंक द्वारा दिया गया कोई अन्य संबंधित कार्य।

**(5)** इच्छुक आवेदकों को निर्धारित प्रोफार्मा में क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, दक्षिण गांधी मैदान, पटना- 800001 को संबोधित संगठन, अनुभव, प्रशिक्षित कर्मियों की उपलब्धता, उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधाओं, स्थानीय पुलिस प्राधिकारी से संपर्क स्थापन, प्रासंगिक कानूनों का अनुपालन, वित्तीय स्थिति, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन का पालन और योग्यता के बारे में विवरण प्रस्तुत करते हुए आवेदन जमा करना होगा। इस प्रकार दी गई जानकारी गोपनीय रखी जाएगी।

**(6)** ग्राहक के प्रमाणपत्र का एक प्रारूप अनुलग्नक - I और बैंकर का प्रमाणपत्र आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। आवेदक को कम से कम तीन ग्राहकों (प्रत्येक में अलग से 40 सुरक्षा गार्ड की न्यूनतम तैनाती) से 'ग्राहक प्रमाणपत्र' जमा करना होगा। इसी प्रकार, आवेदक अपने बैंकर/बैंकरों से 'बैंकर्स प्रमाणपत्र' जमा कर सकते हैं।

**(7)** यदि आवेदन पत्र में पूर्ण विवरण प्रस्तुत करने के लिए स्थान अपर्याप्त है, तो ऐसी जानकारी को विधिवत हस्ताक्षरित कागज की एक अलग शीट पर पूरा किया जा सकता है।

**(8)** गलत या अपर्याप्त जानकारी वाला आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।

**(9)** केवल उन्हीं कंपनियों/फर्मों की वित्तीय बोलियाँ खोली जाएंगी जो तकनीकी बोली में अर्हता प्राप्त करेंगी।

**(10)** बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी आवेदनों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

**(11)** स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, प्रबंधक (कार्मिक), मासंप्रवि, भारतीय रिजर्व बैंक, दक्षिण गांधी मैदान, पटना- 800 001 से प्राप्त किया जा सकता है।

## **(12) सुरक्षा पर्यवेक्षक और गार्ड के लिए पात्रता मानदंड**

- (i) **सुरक्षा पर्यवेक्षक** जेसीओ/हवलदार (वायु सेना/नौसेना/अर्धसैनिक बल के समकक्ष) पद पर पूर्व सैनिक या पूर्व अर्धसैनिक कर्मी होना चाहिए।
- (ii) **आयु** - पीएसए अच्छे स्वास्थ्य और स्वच्छ रिकॉर्ड वाले अच्छे और प्रशिक्षित व्यक्तियों को नियुक्त करेगा और उनकी आयु अधिमानतः 21 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए, लेकिन 50 वर्ष से अधिक

- नहीं। पूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दी जाए। सुरक्षा गार्डों को हिंदी और अंग्रेजी का कार्यसाधक ज्ञान होना चाहिए।
- (iii) **सुरक्षा पर्यवेक्षक और गार्ड को PSARA अधिनियम, 2005** (यानी बिहार निजी प्रतिभूति एजेंसी नियम, 2011) के तहत बिहार सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के तहत सत्यापित शारीरिक फिटनेस और पूर्ववृत्त के मानक को पूरा करना चाहिए। उक्त नियमों का अनुपालन न करने, उपचारात्मक उपाय तुरंत नहीं करने या इस क्षेत्र में अक्सर कमियां प्रेक्षित की जाने पर गार्ड को हटाने और अनुबंध रद्द करने सहित उचित दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
- (iv) **मेडिकल फिटनेस** - उन्हें निम्न मेडिकल श्रेणी में नहीं होना चाहिए यानी सभी तरह से शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिकों या भूतपूर्व अर्धसैनिक कर्मियों की डिस्चार्ज बुक में दर्ज मेडिकल श्रेणी को डिस्चार्ज की तारीख से दो साल के लिए वैध माना जाएगा और उसके बाद पीएसए द्वारा सत्यापन के लिए प्रस्तुत न्यूनतम एमबीबीएस योग्यता के साथ पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टीशनर से नए मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र के अनुसार उनकी मेडिकल फिटनेस पर विचार किया जाएगा। नियमों और शर्तों का अनुपालन न करने पर विक्रेता के खिलाफ उचित दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें बैंक के परिसर और कॉलोनियों में गार्ड को उसकी ड्यूटी से हटाना भी शामिल है।
- (v) **क्रेडेंशियल / पूर्ववृत्त** - प्रत्येक सुरक्षा पर्यवेक्षक और सुरक्षा गार्ड का सत्यापन और उनके पूर्ववृत्त की जाँच (पुलिस सत्यापन) बिहार निजी प्रतिभूति एजेंसी नियम, 2011 के अनुसार सख्ती से की जानी चाहिए। एजेंसी गार्ड की तैनाती से पहले रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उक्त पीएसएआरए नियम 2011 का अनुपालन न करने पर विक्रेता के खिलाफ उचित दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें बैंक के परिसर और कॉलोनियों में गार्ड को उसके कर्तव्यों से हटाना और यदि सुधारात्मक उपाय तुरंत नहीं किए गए और कमी के बार-बार मामले सामने आए तो अनुबंध रद्द कर दिया जाएगा।
- (vi) भा.रि.बैं. के साथ अनुबंध के दौरान पीएसए द्वारा तैनात सुरक्षा गार्ड किसी अन्य संगठन में काम नहीं करेंगे या अनुबंध की अवधि के दौरान पीएसए द्वारा किसी अन्य संगठन में तैनात नहीं किए जाएंगे। यदि समझौते की अवधि के दौरान ऐसा कोई मामला सामने आता है, तो बैंक को पीएसए पर उचित जुर्माना लगाने का अधिकार होगा, जो उसके मासिक बिल या सुरक्षा जमा या पीएसए के किसी अन्य बकाया से वसूल किया जाएगा (विवरण के लिए अनुबंध III देखें)।
- (vii) यदि इस प्रकार प्रदान किया गया कोई गार्ड बैंक द्वारा उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो बैंक को बिना कोई कारण बताए उसके प्रतिस्थापन के लिए कहने का अधिकार होगा। यह सुनिश्चित करना पीएसए की जिम्मेदारी होगी कि स्वीकृत श्रमबल हर समय बनी रहे और सुरक्षा सेवाएं बिना किसी रुकावट के जारी रहें।
- (viii) **व्यवहार** - सुनिश्चित करें कि उसके कर्मचारी, बैंक परिसर में या अपने दायित्वों को पूरा करते समय, बैंक या उसके अधिकृत एजेंटों द्वारा निर्धारित स्वच्छता, शिष्टाचार, सुरक्षा, अच्छे व्यवहार और सामान्य अनुशासन के मानकों का पालन करें और ठेकेदार और/या उसके कर्मचारियों ने इसका पालन किया है या नहीं, इसका एकमात्र निर्णायक बैंक होगा। **बैंक और कॉलोनियों के परिसर में अस्वीकार्य व्यवहार/आचरण की एक सांकेतिक सूची अनुबंध V में दी गई है।**

## 14. वेतन संरचना

(i) "एरिया बी" के पर्यवेक्षक और सशस्त्र गार्डों के लिए वेतन संरचना वॉच एंड वार्ड (हथियार के साथ) और निहत्थे सुरक्षा गार्डों के लिए वेतन संरचना वॉच एंड वार्ड (बिना हथियारों के) के लिए केंद्रीय न्यूनतम वेतन की नवीनतम सिफारिश के अनुसार होगी।

(ii) उद्धृत सेवा शुल्क दृढ़ होंगे और श्रम शर्तों, विनियम भिन्नताओं या किसी भी अन्य शर्त के अधीन नहीं होंगे। यदि भारत सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि होती है, तो फर्म अनुबंधित अवधि के लिए मौजूदा मजदूरी के अतिरिक्त मजदूरी का भुगतान करेगी। हालाँकि, अनुबंधित अवधि के दौरान न्यूनतम वेतन में वृद्धि संशोधन, यदि कोई हो, पर बैंक द्वारा ठेकेदार के संतोषजनक प्रदर्शन से संतुष्ट होने के बाद विचार किया जाएगा और उसी महीने से प्रभावी किया जाएगा। सफल निविदाकर्ता वैधानिक सरकारी भुगतान करने के लिए बाध्य होगा। अतः उनके द्वारा नियोजित कार्यबल को न्यूनतम मजदूरी की प्राप्यता को ध्यान में रखकर ही दर उद्धृत की जाये, ऐसा न होने पर संबंधित फर्म की निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

(iii) कोटेशन में बीमा शुल्क (कर्मचारी मुआवजा और तृतीय-पक्ष दायित्व), और केंद्र सरकार या किसी राज्य या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा लगाए गए सभी मौजूदा या भविष्य के कर भी शामिल होंगे।

(iv) विक्रेता द्वारा संविदा श्रम से संबंधित मामलों पर किसी भी कानून/विनियम, सरकारी आदेशों के उल्लंघन के लिए लागू सरकार द्वारा की गई हानि या दंडात्मक कार्रवाई के खिलाफ बैंक को क्षतिपूर्ति रखेगा और उसे क्षतिपूर्ति करेगा।

## 15. बोली की वैधता

बोली राशि की वैधता आवेदन खुलने की तारीख से 90 दिन और बोली की विस्तरित अवधि के भीतर होगी, जिसके दौरान बोलीदाता अपना प्रस्ताव वापस नहीं ले सकता है।

## 16. पीएसए और बैंक के बीच समझौता

सफल बोलीदाता/पीएसए भा.रि.बैं. द्वारा प्रदान किए गए प्रारूप के अनुसार उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टॉप पेपर पर दो प्रतियों में एक समझौता निष्पादित करेगा और सभी खर्च पीएसए द्वारा देय होंगे। समझौते की एक-एक प्रति भा.रि.बैं. और संबंधित पीएसए दोनों को अपने पास रखनी होगी।

## 17. न्यूनतम या किसी भी निविदा को स्वीकार करने की कोई प्रतिबद्धता नहीं

बैंक न्यूनतम या किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा और बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी प्रस्तावों को अस्वीकार करने का हकदार होगा।

## 18. भुगतान की शर्तें



(i) पीएसए को कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा। पीएसए द्वारा प्रत्येक महीने के पहले दिन या पहले कार्य दिवस पर बिल तैयार और प्रस्तुत किए जाएंगे, जिसमें सुरक्षा गार्ड और पर्यवेक्षक को जमा किए गए वेतन और अन्य वैधानिक भुगतान के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य शामिल होने चाहिए। बिलों की जांच की जाएगी और बिल के सही होने के बारे में बैंक के संतुष्ट हो जाने के बाद ही भुगतान जारी किया जाएगा। पीएसए को यह सुनिश्चित करना होगा कि सुरक्षा पर्यवेक्षकों और सुरक्षा गार्डों को भुगतान भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार समय पर किया जाए; समय पर किया गया यह भुगतान स्वतंत्र रूप से किया जाएगा और वह बैंक द्वारा पीएसए को उसके द्वारा प्रस्तुत बिलों के विरुद्ध भुगतान जारी करने या नहीं करने पर निर्भर नहीं होगा।

(ii) सुरक्षा गार्ड बैंक की आवश्यकता के अनुसार फर्म/विक्रेता द्वारा प्रदान किए जाएंगे और पीएसए द्वारा प्रदान किए गए गार्ड खुद को बैंक के कर्मचारी के रूप में दावा नहीं करेंगे और बैंक और गार्ड के बीच कोई नियोक्ता-कर्मचारी संबंध नहीं होगा। पीएसए द्वारा गार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे और भुगतान सुरक्षा कर्मियों की वास्तविक नियुक्ति के आधार पर किया जाएगा।

(iii) पीएसए भा.रि.बैं., स्टाफ क्वार्टर और कार्यालय में उनके द्वारा तैनात गार्डों को मासिक वेतन और बोनस सहित अन्य स्वीकार्य भत्ते का भुगतान करने के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होगा। साप्ताहिक छुट्टी/अवकाश आदि सहित किसी भी कारण से बैंक कोई अतिरिक्त शुल्क/भुगतान नहीं करेगा।

(iv) किसी भी कारण से अनुबंध समाप्त होने की स्थिति में, ठेकेदार/या उसके द्वारा नियोजित व्यक्ति या उसके एजेंट बैंक से मुआवजे, क्षति या अन्यथा किसी भी राशि के हकदार नहीं होंगे।

## 19. बिना ब्याज वाली सुरक्षा जमा

(i) निजी सुरक्षा एजेंसी (पीएसए) अनुबंधित शर्तों के अनुसार अनुबंधित अवधि से दो महीने की अतिरिक्त वैधता के साथ, निविदा राशि की 5% राशि की ब्याज मुक्त निष्पादन बैंक गारंटी (अनुलग्नक-VI) जमा करेगा। राशि सुरक्षा जमा के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक, पटना के पक्ष में देय होगी। सुरक्षा जमा राशि अनुबंध की अवधि पूरी होने के तीन महीने के भीतर अनुबंध के सफल समापन से संतुष्ट होने और एजेंसी या उसके कर्मचारियों की ओर से कोई दायित्व नहीं होने के बाद ही जारी की जाएगी। देनदारी के मामले में सुरक्षा जमा राशि सभी देयताओं, देनदारियों आदि को समायोजित करने के बाद ही चुकाई जाएगी। पीएसए को अपने कार्यादेश में बताए गए समय के भीतर बैंक गारंटी जमा करनी होगी, बैंक गारंटी जमा करने में देरी के परिणामस्वरूप विलंबित अवधि के लिए उनके बिलों से शुल्क काटा जा सकता है।

इस प्रकार गणना की गई बैंक गारंटी (अनुलग्नक-VI) के रूप में सुरक्षा जमा सुरक्षा पर्यवेक्षकों और सुरक्षा गार्डों को नियुक्त करने से पहले जमा की जाएगी। एजेंसी सुरक्षा जमा राशि पर ब्याज के भुगतान की हकदार नहीं होगी। समायोजन के अधीन सुरक्षा जमा राशि वापसी योग्य होगी। एजेंसी या एजेंसी द्वारा तैनात गार्डों की वजह से हुई किसी भी हानि, चोरी, क्षति, वेतन का भुगतान न होने या तैनात गार्डों की लापरवाही के लिए, एजेंसी द्वारा समझौते की एक या अधिक शर्तों का उल्लंघन करने, एजेंसी के परिसमापन/दिवालियापन आदि के कारण अयोग्य हो जाने पर सुरक्षा जमा राशि का कोई भी हिस्सा या पूरी राशि वसूलने का अधिकार भा.रि.बैं. के पास

सुरक्षित है। ऐसे नुकसान, क्षति, शुल्क या लागत के संबंध में भा.रि.बैं. का निर्णय एजेंसी पर अंतिम और बाध्यकारी होगा।

## 20. गार्ड/पर्यवेक्षक के संबंध में पीएसए की ड्यूटी

- i. पीएसए यह सुनिश्चित करेगा कि तैनात कर्मि अनधिकृत रूप से ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं रहेंगे। बैंक अनुबंध III में दिए गए मानकों के अनुसार जुर्माना लगा सकता है। दंडात्मक कार्रवाई के संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा।
- ii. किसी भी चोरी, क्षति या चोरी के मामले में, पीएसए या उनके प्रतिनिधि तुरंत बैंक के अधिकारियों को मामले की रिपोर्ट करेंगे और एफआईआर दर्ज करने/उचित जांच और नुकसान की वसूली के लिए पुलिस के पास मामला उठाएंगे। पीएसए चोरी, चोरी आदि के कारण होने वाले किसी भी नुकसान के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा और सुरक्षा गार्डों की लापरवाही, ड्यूटी में लापरवाही के कारण बैंक को होने वाले नुकसान की भरपाई करेगा।
- iii. यह स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि सुरक्षा गार्डों की अनुपस्थिति नहीं होगी और अनुपस्थिति के मामले में, गार्ड को पीएसए द्वारा दो घंटे के भीतर प्रतिस्थापित/प्रतिनियुक्त किया जाएगा जो ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करेगा। ऐसा करने में विफलता के लिए पीएसए उत्तरदायी होगा। क्षतिपूर्ति का भुगतान वेतन की दोगुनी दर पर वसूल किया जाएगा और पीएसए के मासिक बिलों से उचित कटौती की जाएगी। इस प्रकार प्रतिस्थापित गार्ड भी निर्धारित मानकों को पूरा करेगा।
- iv. **वर्दी और गैजेट** - ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मचारियों को नेम प्लेट/पहचान पत्र के साथ उचित पूर्ण वर्दी (गर्मी और सर्दी दोनों) प्रदान करने की जिम्मेदारी पीएसए की होगी। ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को हर समय पीएसए द्वारा जारी वैध आईडी कार्ड धारण करना होगा। तैनात कर्मियों की वर्दी पर पीएसए का लोगो होना चाहिए जो स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर/सुपाठ्य हो। सुरक्षा उद्देश्यों के लिए सभी आवश्यक वस्तुएं जैसे टॉर्च, लाठी, सीटी, जूते / बरसाती जूते, रेनकोट, शीतकालीन पोशाक, प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था आदि पीएसए द्वारा अपनी लागत पर प्रदान की जाएंगी।
- v. **प्रतिस्थापन** - बैंक पीएसए को अपने कर्तव्यों का संतोषजनक ढंग से निर्वहन नहीं करने वाले या संदिग्ध चरित्र वाले किसी भी गार्ड को हटाने के लिए कहने का अधिकार सुरक्षित रखता है और पीएसए ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों को तुरंत हटा देगा और प्रतिस्थापन प्रदान करेगा।
- vi. **बैंक पीएसए द्वारा तैनात सुरक्षा गार्डों के लिए बैंक परिसर में या कहीं भी आवासीय सुविधा प्रदान नहीं करेगा।**
- vii. पीएसए द्वारा तैनात सुरक्षा गार्डों के ड्यूटी प्वाइंट और प्रतिधारण का निर्णय बैंक द्वारा अपने क्षेत्रीय निदेशक या इस संबंध में अधिकृत किसी व्यक्ति के माध्यम से किया जाएगा और पीएसए इस तरह के निर्देश का पालन करेगा।
- viii. पीएसए अपने सुरक्षा कर्मचारियों को उनकी तैनाती से पहले उनके सत्यापन और संतुष्टि के लिए बैंक द्वारा समझौते के संचालन के लिए नियंत्रण अधिकारी के रूप में घोषित क्षेत्रीय निदेशक या भा.रि.बैं. द्वारा उनकी ओर से अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति से मिलवाएगा और तैनाती से पहले पीएसए राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटो के साथ सुरक्षा कर्मियों का पूरा विवरण / बायोडाटा, जहां भी लागू हो, शस्त्र लाइसेंस की प्रति सहित प्रस्तुत करेगा।

## 21. परिसमाप्त हर्जाना और तत्काल समाप्ति

समझौते की किसी भी अवधि में, अनुबंधित शर्तों के एक/या एकाधिक उल्लंघन के मामले में और/या पीएसए द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को संतोषजनक नहीं पाए जाने (श्रम-शक्ति को बनाए नहीं रखना, ड्यूटी पर सतर्क नहीं होना, अनुशासनहीनता और अनुचित वर्दी/टर्नआउट आदि) पर परिसमाप्त हर्जाने के रूप में एक महीने के **कुल मासिक बिल में से 10% राशि (अधिकतम)** की कटौती की जाएगी और यदि बाद के किसी भी महीने में प्रदर्शन असंतोषजनक बना रहता है तो पीएसए की सेवा को उसकी गैर-संतोषजनक सेवा की गंभीरता को देखते हुए **सात दिनों की छोटी सूचना देकर समाप्त किया जा सकता है।**

दोषपूर्ण सेवा की प्रकृति जिसके लिए जुर्माना लगाया जा सकता है या अनुबंध रद्द/समाप्त किए जाने का निर्णय पूरी तरह से बैंक के विवेकाधीन होगा। दंडात्मक कार्रवाई में भविष्य में बैंक द्वारा जारी निविदाओं में भागीदारी के लिए फर्म/पीएसए को अयोग्य घोषित करना भी शामिल हो सकता है।

## 22. समझौते की समाप्ति

इसमें ऊपर दी गई बातों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बैंक अपने एकमात्र और पूर्ण विवेक पर, बिना कोई कारण बताए और बिना किसी मुआवजे के भुगतान के 30 दिनों की लिखित सूचना द्वारा इस समझौते को तुरंत समाप्त करने का हकदार होगा, यदि

- i. बैंक की राय में (जिस पर ठेकेदार द्वारा सवाल नहीं उठाया जाएगा और यह ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा), ठेकेदार बैंक की संतुष्टि के अनुसार इस समझौते को लागू करने में विफल रहता है या मना कर देता है और/या ठेकेदार किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है;  
**और/या**
- ii. किसी भी कारण से, ठेकेदार इस समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए कानूनन अयोग्य हो जाता है;  
**और/या**
- iii. बैंक की लिखित पूर्वानुमति के बिना ठेकेदार के स्वामित्व/साझेदारी, प्रबंधन या व्यवसाय में कोई भिन्नता आती है;
- iv. किसी भी कारण से बिहार सरकार द्वारा विक्रेता के PSARA लाइसेंस को रद्द करने पर पैरा 21 और पैरा 22 में उल्लिखित अनुबंध को रद्द करने या समाप्त करने से संबंधित नियम और शर्तों के अनुसार अनुबंध रद्द कर दिया जाएगा। यदि लाइसेंस रद्द करने का आदेश रद्द करने के आदेश की तारीख से यथोचित समयावधि के भीतर या 60 दिनों से अनधिक समयावधि के भीतर या बैंक द्वारा तय किए गए उचित समय के भीतर बैंक के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह अनुबंध रद्द करना प्रभावी हो जाएगा।

इस अनुबंध में निहित किसी भी बात के बावजूद, अनुबंध की किसी भी शर्त का अनुपालन न करने, अवज्ञा या उल्लंघन करने या ठेकेदार द्वारा असंतोषजनक या अकुशल कार्य करने की स्थिति में, बैंक के पास बिना कोई कारण बताए ठेकेदार को एक महीने की लिखित सूचना देने के बाद इस अनुबंध को रद्द करने का पूर्ण और स्वतंत्र अधिकार होगा, जो ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा और नोटिस में निर्धारित समय सीमा के पूरा होने पर अनुबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में ठेकेदार किसी भी मुआवजे/क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा है और उसे सुरक्षा जमा राशि वापस नहीं की जाएगी। सेवा प्रदाता बैंक को तीन महीने का लिखित नोटिस देकर अनुबंध रद्द भी कर सकता है।

23. यदि निविदाकर्ता, कार्य सौंपे जाने के बाद, कार्य को निष्पादित करने में विफल रहता है, तो बैंक ठेकेदार के जोखिम और खर्च पर और बैंक को ठेकेदार के खिलाफ दिए गए किसी भी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यथोचित उपचारात्मक कार्रवाई कर सकता है। बैंक के पास निविदाकर्ता को भविष्य में कोई भी अनुबंध करने से अयोग्य घोषित करने का अधिकार भी सुरक्षित है, हालांकि बैंक ऐसा करने से पहले निविदाकर्ता को 7 दिन का नोटिस देगा।

#### 24. अन्य नियम एवं शर्तें (एजेंसी/संपर्ककर्ता के लिए)

(i) बैंक का काम करते समय सुरक्षा पर्यवेक्षक और सुरक्षा गार्डों को होने वाली संभावित व्यक्तिगत चोटों के लिए आवश्यक बीमा कवर (कर्मचारी मुआवजा नीति और किसी एक दुर्घटना या घटना के लिए प्रति व्यक्ति न्यूनतम 2 लाख रुपये की तृतीय-पक्ष देयता) लेगा। वह यह सुनिश्चित करेगा कि इस समझौते की अवधि के दौरान बीमा कवर सक्रिय रखा जाएगा। ठेकेदार भारतीय रिज़र्व बैंक को बीमा कवर की एक प्रति (संपूर्ण अनुबंध अवधि के लिए वैध) प्रदान करेगा। यदि सफल निविदाकर्ता ये पॉलिसियाँ उपलब्ध नहीं कराता है, तो बैंक के पास उपरोक्त बीमा पॉलिसियाँ स्वयं लेने और उसकी लागत सफल निविदाकर्ता के बिल से वसूलने का अधिकार सुरक्षित है।

(ii) सुनिश्चित करेगा कि बैंक द्वारा आवश्यक सेवाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से उसके द्वारा नियोजित सभी व्यक्तियों का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बीमा कंपनियों से बीमा कराया गया है, जिसके लिए बैंक द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। किसी व्यक्ति, जानवर या किसी अन्य वस्तु को चोट लगने या क्षति होने पर ठेकेदार जिम्मेदार होगा।

(iii) पीएसए को सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित वेतन रोल के साथ पिछले महीने के दौरान प्रदान की गई सेवाओं के लिए दो प्रतियों में मासिक बिल जमा करना होगा और बैंक समय-समय पर संशोधित आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधान के अनुसार आयकर और केंद्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर लगाए गए अन्य करों की कटौती के बाद बिल जमा करने की तारीख से पंद्रह कार्य दिवसों के भीतर भुगतान करेगा।

(iv) एजेंसी/ठेकेदार को कार्य सौंपने से पहले लागू मूल्य के गैर-न्यायिक स्टॉप पेपर पर वचन देना होगा कि वह उस विशेष कार्य को पूरा करने के लिए उसके द्वारा नियोजित सभी सभी पर्यवेक्षकों और सुरक्षा गार्डों को सीएलआरए अधिनियम के तहत केंद्रीय न्यूनतम मजदूरी के तहत निर्धारित दर से वास्तव में मजदूरी का भुगतान करेगा और साथ ही प्रधान नियोक्ता को उन सभी कार्रवाइयों के खिलाफ क्षतिपूर्ति और सुविधाएं प्रदान करेगा जो ऐसी मजदूरी का भुगतान करने में विफलता के लिए वैधानिक अधिकारियों द्वारा प्रधान नियोक्ता के खिलाफ शुरू की जा सकती हैं।

(v) ठेकेदार को श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 की धारा 12(1) के साथ पठित ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) केंद्रीय नियम, 1971 की धारा 21 के तहत दिए गए प्रावधानों के अनुसार, सहायक श्रम आयुक्त, भारत सरकार, पटना के कार्यालय से लाइसेंस प्राप्त करना और उपरोक्त अधिनियम या लागू किसी अन्य कानून की अन्य वांछनाओं का भी अनुपालन आवश्यक होगा और ऐसा न करने पर वह अकेले ही इसे सुनिश्चित करने वाली कार्रवाइयों/कार्यवाहियों के लिए जिम्मेदार होगा। बैंक को ठेकेदार के कार्यों, कमीशन या चूक के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा और किसी भी तरह से ठेकेदार द्वारा लगाए गए मजदूरों के प्रति उत्तरदायी नहीं बनाया जाएगा।

(vi) पीएसए अपने सुरक्षा गार्डों को साप्ताहिक अवकाश देगा और उनके स्थान पर एक रिलीवर प्रदान करेगा। पीएसए को देर रात के दौरान सप्ताह में कम से कम दो बार औचक निरीक्षण करने और यह देखने की आवश्यकता होती है कि उनके गार्ड ईमानदारी से और ठीक से कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं और अपनी रिपोर्ट भा.रि.बैं. द्वारा अधिकृत अधिकारी को भी सौंपते हैं। असाधारण/आपातकालीन मामलों में प्रति गार्ड एक महीने में दो से अनधिक ड्यूटी को छोड़कर किसी भी दोहरी ड्यूटी की अनुमति नहीं है। **पीएसए लागू ओवरटाइम भत्ता, यदि कोई हो, का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और इस संबंध में भा.रि.बैं. द्वारा किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।**

(vii) समझौते की अवधि शुरू में मार्च 2025 तक होगी जिसे पीएसए के संतोषजनक प्रदर्शन और संबंधित फर्म/कंपनी/एजेंसी द्वारा संविदात्मक दायित्वों के पालन, जिसका मूल्यांकन पूर्णतः बैंक के अधीन होगा, को दृष्टिगत रखते हुए **अधिकतम दो साल (एक बार में एक वर्ष) की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।**

(viii) बोली आवेदन स्वीकार करने का अधिकार क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना के पास रहेगा जो न्यूनतम या किसी अन्य आवेदन को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है या जो किसी विशेष आवेदन/आवेदन पर विचार करने से इनकार करने के लिए कारण बताने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

(ix) समझौते की अवधि के दौरान उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद की स्थिति में इसका निपटारा क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना द्वारा किया जाएगा।

(x) **पीएसए को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन पत्र में वर्णित कार्यों की पूरी मद्दों के लिए दरें तैयार करने से पहले कार्य स्थल का दौरा करें और कार्य के निष्पादन में शामिल वास्तविक स्थिति और कठिनाइयों को देखें।**

(xi) यौन उत्पीड़न: सफल बोलीदाता " कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगा। भा.रि.बैं. के परिसर के भीतर अपने कर्मचारियों के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में, सफल बोलीदाता द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष शिकायत दर्ज की जाएगी और यह शिकायत के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।

(xii) सफल बोली लगाने वाले के किसी भी पीड़ित कर्मचारी द्वारा भा.रि.बैं. के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत पर भा.रि.बैं. की क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान लिया जाएगा। सफल बोलीदाता अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

(xiii) सफल बोली लगाने वाले के बोलिदाता के किसी कर्मचारी को शामिल करने वाली किसी घटना, जिसमें मौद्रिक मुआवजे के भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है, में किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए सफल बोलीदाता जिम्मेदार होगा। उदाहरण के लिए यदि सफल बोली लगाने वाले के कर्मचारी द्वारा यौन दुर्व्यवहार साबित हो जाता है तो भा.रि.बैं. कर्मचारी को मौद्रिक राहत सफल बोली लगाने वाले द्वारा प्रदान किया जाएगा।

(xiv) एक बार ठेका आवंटित कर दिए जाने पर ठेकेदार ठेका किसी अन्य को नहीं सौंपेगा। वह बैंक की लिखित सहमति के बिना अनुबंध के किसी भी हिस्से को उपठेका पर नहीं देगा। इन शर्तों के उल्लंघन के मामले में, बैंक ठेकेदार को अनुबंध रद्द करने का लिखित नोटिस दे सकता है।

(xv) निविदाकर्ता को दरें भरने के लिए केवल बैंक द्वारा जारी निविदा प्रपत्र का ही उपयोग करना होगा। निविदाकर्ता द्वारा निविदा प्रपत्र के पाठ में किया गया कोई भी परिवर्धन/परिवर्तन वैध नहीं होगा और उसे अमान्य माना जाएगा।

(xvi) ठेकेदार वेतन भुगतान अधिनियम, 1936, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948, ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970, ईपीएफ अधिनियम, 1952, ईएसआई अधिनियम 1948, बोनस अधिनियम 1965 या इस संबंध में लागू किसी अन्य श्रम कानून/कानून के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के लिए सभी नुकसानों और दावों, क्षति या मुआवजे के खिलाफ बैंक को क्षतिपूर्ति देगा और क्षतिपूर्ति करता रहेगा।। इस संबंध में देनदारियों, यदि कोई हो, के लिए केवल ठेकेदार ही जिम्मेदार होगा।

(xvii) **गैर-प्रकटीकरण मानदंड-** ठेकेदार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बैंक के बुनियादी ढांचे/प्रणालियों/ उपकरणों आदि की किसी भी जानकारी, सामग्री और विवरण का खुलासा नहीं करेगा, जो उसके संविदात्मक दायित्वों के निर्वहन के दौरान ठेकेदार के कब्जे या जानकारी में आ सकता है। इस समझौते के संबंध में, किसी भी तीसरे पक्ष को और इसे हर समय पूर्ण विश्वास में रखा जाएगा। ठेकेदार अनुबंध के विवरण को निजी और गोपनीय मानेगा, इसके तहत दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का अनुपालन करने के लिए आवश्यक सीमा को छोड़कर ठेकेदार नियोक्ता की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी व्यापार या तकनीकी पेपर या अन्यत्र कार्यों के किसी भी विवरण को प्रकाशित या खुलासा न तो करेगा, न ऐसा करने की अनुमति ही देगा। किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप बैंक को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ठेकेदार बैंक को क्षतिपूर्ति देगा। उपरोक्त का पालन करने में विफलता को ठेकेदार की ओर से अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा और बैंक नुकसान का दावा करने और कानूनी उपाय अपनाने का हकदार होगा। ठेकेदार अपने कर्मचारियों के संबंध में यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उचित कार्रवाई करेगा ताकि इस समझौते के तहत गोपनीय जानकारी का खुलासा न करने के दायित्व का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित हो।

(xviii) गैर-प्रकटीकरण और गोपनीयता के संबंध में ठेकेदार के दायित्व इस समझौते की समाप्ति या समाप्ति के बाद भी बने रहेंगे।

(xix) निजी सुरक्षा एजेंसी (पीएसए) सभी श्रम कानूनों या विनियमों जैसे कि वेतन भुगतान अधिनियम, 1936, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952, कर्मचारी दायित्व अधिनियम, 1933, कर्मकार मुआवजा अधिनियम, 1920, मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961, उनमें से प्रत्येक संशोधित और अद्यतन तिथि के अनुसार लागू, और ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 या उसमें कोई संशोधन या उससे संबंधित कोई अन्य कानून, जो समय-समय पर इसके तहत कार्यों के प्रदर्शन और नियमों पर असर डालता है आदि और विविध प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। पीएसए इसके द्वारा अनुबंधित अवधि में भविष्य की तारीख में पेश किए जाने वाले ऐसे कानूनों, नियमों या विनियमों के अनुपालन या उल्लंघन के कारण होने वाले प्रत्येक खर्च, दायित्व या भुगतान से बैंक को क्षतिपूर्ति करने और हानिरहित रखने के लिए सहमत और वचन देता है।

(xx) ठेकेदार अगले महीने का बिल जमा करने से पहले बैंक में तैनात कर्मियों के बोनस, ईएसआई और ईपीएफ अंशदान की राशि उनके संबंधित नाम पर जमा करने का प्रमाण प्रस्तुत करेगा।

(xvi) कर्मचारियों की सुरक्षा के प्रति सभी सावधानियां बरती जाएंगी और किसी भी अप्रिय घटना यानी अपने कर्मचारियों को मुआवजा आदि के प्रति ठेकेदार की पूरी जिम्मेदारी होगी।

(xvii) यह पीएसए की जिम्मेदारी होगी कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए तैनात सुरक्षा कर्मचारियों को नेम प्लेट/पहचान पत्र के साथ पूरी वर्दी (गर्मी और सर्दी दोनों) प्रदान करे। पहचान पत्र बैंक या सरकार के किसी प्राधिकारी द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जाएगा। सुरक्षा उद्देश्यों के लिए सभी आवश्यक वस्तुएं जैसे टॉर्च, लाठी, सीटी, जूते / बरसाती जूते, रेनकोट, प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था आदि पीएसए द्वारा अपनी लागत पर प्रदान की जाएंगी।

## 25. मध्यस्थता द्वारा विवादों का निपटारा (पैरा 2.20 की निरंतरता में)

(i) पार्टियों के बीच कोई विवाद या मतभेद उत्पन्न होने की स्थिति में इसे क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, पटना को भेजा जाएगा जिनका निर्णय अंतिम और दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा। हालाँकि, यदि पक्ष अभी भी संतुष्ट नहीं हैं, तो मामले को एकमात्र मध्यस्थ के पास भेजा जाएगा जिसकी नियुक्ति पार्टियों की आपसी सहमति के आधार पर होगी। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) या उसके किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन के प्रावधानों के अनुसार मध्यस्थता आयोजित की जाएगी और उसके तहत बनाए गए नियम और उस समय लागू होने वाले नियम मध्यस्थता पर लागू होंगे। इस प्रावधान के तहत मध्यस्थ का निर्णय अंतिम और पार्टियों पर बाध्यकारी होगा।

(ii) मध्यस्थता का स्थान पटना होगा। मध्यस्थ की फीस, यदि कोई हो, निर्णय दिए जाने और प्रकाशित होने से पहले भुगतान करने की आवश्यकता होने पर, प्रत्येक पक्ष द्वारा आधा-आधा भुगतान किया जाएगा। संदर्भ और फैसले की लागत (मध्यस्थ की फीस, यदि कोई हो, सहित) मध्यस्थ के विवेक पर होगी, जो किसी को निर्देश दे सकता है कि भुगतान की जाने वाली लागत की राशि तय या व्यवस्थित किसके द्वारा और किस तरीके से की जाएगी, ऐसी लागत या उसके किसी हिस्से का भुगतान कैसे किया जाएगा।

**26. निविदा का खुलना: निविदा का भाग I (तकनीकी बोली) (निर्णय लिया जाना है)** को खोला जाएगा । जो निविदाकार निविदा खोलने के समय उपस्थित होना चाहते हैं वे उपरोक्त तारीख एवं समय नोट कर लें। इस संबंध में कोई अलग से सूचना नहीं दी जाएगी।

**27. वित्तीय बोली खोलना:** केवल उन निविदाकारों की भाग II (वित्तीय बोली), जो तकनीकी बोली में अर्हता प्राप्त करते हैं, अगली तारीख पर खोली जाएगी, जिसके लिए योग्य निविदाकारों को सूचना दी जाएगी।

**28. सत्यनिष्ठा खंड :** नियोक्ता की ओर से ऐसा कोई भी लाभ न मांगने या स्वीकार न करने का वादा, जो कानूनी रूप से उपलब्ध नहीं है। नियोक्ता को सभी बोलीदाताओं के साथ समानता और तर्क के साथ व्यवहार करना होगा। बोलीदाताओं की ओर से कीमतों, विशिष्टताओं, प्रमाणपत्रों, सहायक अनुबंधों आदि के संबंध में अन्य बोलीदाताओं के साथ कोई लाभ या समझ की पेशकश नहीं करने का वादा किया गया है। बोलीदाताओं को व्यावसायिक संबंध के हिस्से के रूप में नियोक्ता द्वारा प्रदान की गई किसी भी

जानकारी को दूसरों को नहीं देने के लिए प्रतिबद्ध होना है, दंड संहिता/ भारतीय दंड संहिता अधिनियम के तहत किसी अपराध में शामिल नहीं होना है। बोलीदाताओं को उनके द्वारा एजेंटों/दलालों या किसी अन्य मध्यस्थ को किए जाने वाले भुगतान का खुलासा करना होगा। बोली लगाने वालों को किसी अन्य कंपनी के साथ किसी भी तरह के अपराध का खुलासा करना होगा जो भ्रष्टाचार विरोधी सिद्धांत का उल्लंघन करता है।



अभिरुचि की अभिव्यक्ति

(पीएसए के पत्रशीर्ष पर)

तारीख:

सेवा में,

क्षेत्रीय निदेशक  
भारतीय रिजर्व बैंक  
दक्षिणी गांधी मैदान  
पटना

आदरणीय महोदय,

**विषय: सुरक्षा पर्यवेक्षकों और सशस्त्र/निहत्थे सुरक्षा गार्ड प्रदान करने के लिए निजी सुरक्षा एजेंसी के रूप में पैनल में शामिल होने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति**

मैं/हम एतद्वारा अपनी कंपनी/फर्म को पटना नगर निगम सीमा में भा.रि.बैं. के विभिन्न परिसरों में तैनात किए जाने वाले सुरक्षा पर्यवेक्षक और सशस्त्र/निहत्थे सुरक्षा गार्ड प्रदान करने के लिए पीएसए के रूप में सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव करता हूँ/करते हैं।

मैं/हम जानते हैं कि पैनल किसी भी कार्य आदेश की गारंटी नहीं देता है। अनुबंध प्राप्त करने की स्थिति में, मैं/हम भा.रि.बैं., पटना द्वारा अपेक्षित उचित परिश्रम और दक्षता के साथ दायित्व को पूरा करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

मुझे/हमें यह भी ज्ञात है कि केवल आवेदन पत्र भरने मात्र से कोई पैनल में शामिल होने के लिए स्वतः योग्य नहीं हो जाता है। मैं/हम बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी आवेदनों (हमारे सहित) को अस्वीकार करने के भा.रि.बैं. , पटना के अधिकार से भी सहमत हूँ/हैं।

मैं/हम नोटिस के सभी नियमों और शर्तों से सहमत हूँ/हैं।

सादर,

आपका विश्वासी,

पीएसए के हस्ताक्षर और मुहर

पता :

## भारतीय रिज़र्व बैंक पटना

### तकनीकी बोली - बुनियादी जानकारी

क्र.सं.	जानकारी आवश्यक	सेवा प्रदाताओं की टिप्पणियाँ	पृष्ठ सं.
1.	संगठन का नाम और पता  (i) पंजीकृत कार्यालय का पता और टेलीफोन नंबर  (ii) उस कार्यालय का पता जो भा.रि.बैं. के साथ संवाद करेगा। प्राधिकृत अधिकारी का नाम और उसका टेलीफोन नंबर भी बताएं।		
2.	संगठन का प्रकार - स्थापना की तिथि। सुरक्षा गार्ड की सेवाएं प्रदान करने के लिए पीएसए को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत प्रतिष्ठित पंजीकृत कंपनियां होनी चाहिए।  कृपया प्रासंगिक दस्तावेज़ संलग्न करें।		
3.	पीएसए का नाम		
4.	पंजीकरण का विवरण (फर्म, कंपनी आदि) पंजीकरण प्राधिकारी, तिथि, संख्या आदि।		
5.	पीएसए संस्थापन प्रलेख संलग्न करें		
6.	अखिल भारतीय (न्यूनतम तीन राज्य) उपस्थिति दस्तावेज़ और शाखा/कार्यालय पटना में। बिहार राज्य सहित प्रत्येक तीनों राज्यों के लिए अलग-अलग वैध पीएसएआरए लाइसेंस संलग्न करें।		
7.	पीएसए को 31 मार्च, 2023 तक कम से कम 05 वर्षों तक लगातार व्यवसाय (सुरक्षा गार्ड प्रदान करना) में होना चाहिए। पिछले पांच वर्षों के दौरान उनके द्वारा किए गए कार्यों का विवरण दिखाते हुए ग्राहकों की सूची प्रस्तुत करें। सूची में ग्राहक का नाम, निष्पादित कार्य का मूल्य, कार्य की शुरुआत और समाप्ति की तारीख, देरी के कारण, यदि कोई हो, जैसे विवरण शामिल होंगे। एजेंसी को न्यूनतम पांच वर्ष के अनुभव के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए। दस्तावेजी प्रमाण की प्रतियां जैसे निगमन		

	प्रमाणपत्र, आईटी रिटर्न, पैन कार्ड आदि संलग्न करना होगा।		
8.	<p>अनुबंध की अनुमानित लागत लगभग ₹3.05 करोड़ है। एजेंसी को 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले पिछले पांच वर्षों के दौरान समान कार्य (सुरक्षा गार्ड प्रदान करना) को सफलतापूर्वक पूरा करने का अनुभव प्रस्तुत करना आवश्यक है (कार्य आदेशों की प्रतियां जमा करें): (i) तीन समान कार्य (सुरक्षा गार्ड प्रदान करना) प्रत्येक की लागत ₹1,21,65,653/- (अनुमानित लागत का 40%) से कम नहीं</p> <p>ii) दो समान कार्य (सुरक्षा गार्ड प्रदान करना) प्रत्येक की लागत ₹1,52,07,066- (अनुमानित लागत का 50%) से कम नहीं होनी चाहिए।</p> <p>iii) एक समान कार्य (सुरक्षा गार्ड प्रदान करना) जिसकी लागत ₹2,43,31,306/- (अनुमानित लागत का 80%) से कम नहीं होनी चाहिए।</p>		

9.	<p>तैनाती के लिए संगठन में उपलब्ध सुरक्षा कर्मियों का विवरण (प्रमाण प्रस्तुत करना होगा-वैध कार्य आदेश)।</p> <p>i. सुरक्षा पर्यवेक्षक (पूर्व-रक्षा/अर्धसैनिक)</p> <p>ii. सुरक्षा गार्ड</p>		
10.	<p>न्यूनतम तीन सरकारी कार्यालयों संस्थान/निकाय/प्रतिष्ठान (आवासीय परिसर सहित) या पांच सितारा होटलों में प्रत्येक में न्यूनतम 40 सुरक्षा गार्ड की मौजूदा तैनाती का अनुभव। पीएसए तीन संदर्भ साइटें प्रस्तुत करेगा और भा.रि.बैं. के अनुरोध पर रेफरी भा.रि.बैं. की संतुष्टि के लिए पीएसए के प्रदर्शन के बारे में गवाही देगा। विवरण अनुबंध-1 के अनुसार प्रदान किया जा सकता है। कृपया सेवा का लाभ उठा रहे कम से कम तीन, अधिमानतः सरकारी/ सार्वजनिक क्षेत्र के ग्राहकों का प्रमाण पत्र संलग्न करें।</p>		

11.	पिछले 3 वित्त वर्ष यानी 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के लिए ऑडिटेड बैलेंस शीट। 2023 को समाप्त पिछले तीन वित्तीय वर्षों में पीएसए का औसत कारोबार तीन करोड़ पाँच लाख (₹3,05,00,000) रुपये प्रत्येक से कम नहीं होना चाहिए जिसे लेखापरीक्षित बैलेंस शीट द्वारा समर्थित होना चाहिए 2020-21 2021-22 2022-23		
12.	बैंकर्स का नाम और पता। कृपया वित्तीय स्थिति के संबंध में बैंकर्स से प्राप्त प्रमाणपत्र संलग्न करें।		
13.	कंपनी पैन। अंतिम आयकर क्लियरेंस प्रमाणपत्र की एक प्रति संलग्न की जा सकती है।  आयकर रिटर्न (i) 2020-21 (ii) 2021-22 (iii) 2022-23		
14.	ईएसआई कॉर्पोरेशन से प्रमाणपत्र (नवीनतम)।		
15.	ईपीएफ और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 (नवीनतम)के तहत ईपीएफ संगठन से प्रमाण पत्र।		

16.	ठेका श्रम अधिनियम (विनियमन एवं उन्मूलन) 1970 के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र।		
17.	सेवा कर के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र।		
18.	पीएसए के पास न्यूनतम 500 सुरक्षा गार्ड (तैनात) होने चाहिए। ईपीएफओ, ईएसआईसी चालान की प्रति, तैनात सुरक्षा गार्डों की संख्या दर्शाने वाली सुरक्षा सेवाओं के लिए वैध कार्य आदेश संलग्न किए जाने चाहिए)		
19.	यदि वह प्रदान की गई सेवा से संबंधित किसी मुकदमे या किसी लंबित सिविल मुकदमे में शामिल है तो बताएं। यदि आवश्यक हो तो एक अलग शीट संलग्न करें।		
20.	क्या फर्म/कंपनी न्यूनतम वेतन अधिनियम, भविष्य निधि कटौती से संबंधित अन्य प्रावधानों या सेवा		

	प्रदान करने से संबंधित किसी अन्य कानूनी प्रावधानों का पालन कर रही है (विभिन्न प्रावधानों/अधिनियमों के अनुपालन के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने हैं)		
21.	'निजी सुरक्षा एजेंसी (विनियमन) अधिनियम-2005' के तहत पुलिस अधिकारियों से लाइसेंस। PSARA -2005 लाइसेंस। PSARA -2005 बिहार राज्य के लिए लाइसेंस। कृपया यह भी स्पष्ट करें कि तैनात कर्मचारियों के पूर्ववृत्त का पुलिस सत्यापन कराया जा रहा है या नहीं।		
22.	पीएसए का पटना में टेलीफोन के साथ एक कार्यालय और पटना में चौबीसों घंटे खुला रहने वाला नियंत्रण कक्ष (आपातकालीन प्रतिक्रिया कक्ष) होना चाहिए (विवरण प्रदान करें)।		
23.	किसी भी राज्य में सुरक्षा गार्डों के प्रशिक्षण के लिए प्रभावी बुनियादी ढांचा होना चाहिए और प्रशिक्षण प्रतिष्ठान चलाने के लिए उस राज्य के पीएसएआरए नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा जारी वैध लाइसेंस होना चाहिए। प्रशिक्षण संस्थान में शारीरिक प्रशिक्षण सहित पूर्ण प्रशिक्षण अवसंरचना होनी चाहिए। PSARA-2005 अधिनियम के अनुसार, सुरक्षा गार्डों को न्यूनतम निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। प्रशिक्षण संस्थान के लाइसेंस की वैधता निविदा की अवधि तक होनी चाहिए। पीएसए को सुरक्षा गार्ड/पर्यवेक्षकों की तैनाती से पहले प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र संलग्न/प्रस्तुत करना होगा।		
24.	पीएसए के पास इनमें से कोई एक प्रमाणपत्र होना चाहिए- ISO 9001-2008 या SA 8000 या OHSAS 1800 प्रमाणन।		
25.	₹3.05 करोड़ का सॉल्वेंसी प्रमाणपत्र जमा करना होगा , सॉल्वेंसी प्रमाणपत्र की जारी तिथि 31 मार्च, 2023 से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए।		
26.	बैंक खाता (MICR कोड और		

खाता संख्या) जहां नियोजित सुरक्षा गार्डों के संबंध में फर्म द्वारा भुगतान प्राप्त किया जाएगा। यह भी बताएं कि क्या फर्म इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ECS)-RTGS/NEFT से भुगतान स्वीकार करने के लिए तैयार है		
---	--	--

आवेदक के हस्ताक्षर (मुहर सहित)

स्थान:

तारीख:

नोट: आवेदन क्षेत्रीय निदेशक, मा.सं.प्र.वि., भारतीय रिजर्व बैंक, दक्षिण गांधी मैदान, पटना को संबोधित किया जाना चाहिए।

भारतीय रिज़र्व बैंक मुख्य कार्यालय भवन  
मानव संसाधन प्रबंध विभाग, पटना

भाग II

निविदा

के लिए

भा.रि.बैं. पटना स्टाफ क्वार्टर और कार्यालय में निजी सुरक्षा पर्यवेक्षक और निजी सुरक्षा गार्ड प्रदान करना

ठेकेदार का नाम: मैसर्स. \_\_\_\_\_

---

---

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि: 19 फरवरी 2024 को अपराह्न 02:00 बजे

निविदा के भाग-I के खुलने की तिथि- 19 फरवरी 2024 को अपराह्न 03:00 बजे

स्थान: मा.सं.प्र.वि., पटना

## वित्तीय बोली

ध्यान दें: निविदाकर्ता को जीएसटी सहित दरें केवल एमएसटीसी पोर्टल पर ऑनलाइन भरनी होंगी

**कृपया इस दस्तावेज़ को अपलोड न करें**

दरें केंद्र सरकार द्वारा प्रकाशित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अनुरूप होनी चाहिए। कृपया ध्यान दें कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरें उद्धृत नहीं की जानी हैं। उपरोक्त के जवाब में और आपके द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों और पूर्व-योग्यता मानदंडों से पूर्ण सहमति में, मैं/हम निम्नानुसार बताते हैं: -

क्र.सं.	विवरण	मात्रा (एमएसटीसी पर प्रति व्यक्ति उद्धृत किया जाए) (‘ए’)	प्रत्येक वर्ग में कुल कार्मिक (‘बी’)	कुल राशि (‘ए’ * ‘बी’)
1	सुरक्षा पर्यवेक्षक		7	
2	सुरक्षा गार्ड (हथियार सहित)		11	
3	सुरक्षा गार्ड (बिना हथियार के)		48	
<b>कुल (एक वर्ष के लिए जीएसटी सहित)</b>				

टिप्पणी: \* \*

(कर्मियों के लिए कोटेशन न्यूनतम वेतन अधिनियम के अनुसार होना चाहिए और इसमें सभी लागू वैधानिक शुल्क/कर, सीजीएसटी/एसजीएसटी, लागू बोनस, रिलीवर शुल्क, सेवा शुल्क शामिल होना चाहिए) ।

मैंने/हमने नियम एवं शर्तों को पढ़ लिया है और उनसे सहमत हूँ। भाग-A में उद्धृत दरें भाग B में उल्लिखित लागत विश्लेषण के अनुसार होनी चाहिए।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता  
(नाम एवं मुहर सहित)



(मूल्य बोली)

(यह केवल उदाहरणात्मक उद्देश्य के लिए है और इसे तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए।  
इसे खंड-वित्तीय बोली के तहत ऑनलाइन पोर्टल पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए)

(भाग-B)

लागत विश्लेषण: भा.रि.बैं. , पटना और आवासीय कॉलोनियों में तैनात सुरक्षा गार्ड और पर्यवेक्षक (प्रति माह लागत)

क्र.सं	विवरण	सुरक्षा गार्ड (निहत्ये)	सुरक्षा गार्ड (सशस्त्र)	पर्यवेक्षक
1	न्यूनतम मज़दूरी ₹ में (बेसिक + वीडिए) (ए)	832	915	915
2	₹ में कुल मज़दूरी = बी= 26*(ए)	21,632	23,790	23,790
3	₹ में (बेसिक + वीडिए पर) (सी) @ 12% बी पर	2595.84	2854.80	2854.80
4	ईडीएलआई और एडमिन शुल्क ₹ में (अधिकतम ₹ 15000 पर 0.5% @)	75+75	75+75	75+75
5	ईएसआई ₹ @ 3.25% (यदि लागू हो) (ई)	21000 से अधिक कुल वेतन पर लागू नहीं	21000 से अधिक कुल वेतन पर लागू नहीं	21000 से अधिक कुल वेतन पर लागू नहीं
6	बोनस ₹ में @ 8.33% (यदि लागू हो) (एफ)	21000 से अधिक कुल वेतन पर लागू नहीं	21000 से अधिक कुल वेतन पर लागू नहीं	21000 से अधिक कुल वेतन पर लागू नहीं
7	कुल ₹ में (बी+सी+डी+ई+एफ= जी)	24377.84	26794.80	26794.80
8	रिलीवर शुल्क ₹ में (कुल (जी) पर 17%)	4144.2328	4555.116	4555.116
9	**सेवा शुल्क (@%)			
10	प्रति व्यक्ति कुल लागत			
11	जीएसटी @18%			
12	*कुल योग			

(एक कैलेंडर माह के लिए प्रतिदिन 8 घंटे)

\* (कर्मियों के लिए कोटेशन न्यूनतम वेतन अधिनियम के अनुसार होना चाहिए और इसमें सभी लागू वैधानिक शुल्क/कर, सीजीएसटी/एसजीएसटी शामिल होंगे) ।

\*\* (सेवा शुल्क रुपये के रूप में दिया जाना चाहिए (प्रतिशत में गणना))

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता  
(नाम एवं मुहर सहित)

## टिप्पणी:

यदि वित्तीय बोली में उद्धृत राशि समान (कोई टाई) है, तो उसे निम्नलिखित तरीके से तोड़ा जाएगा –

क्रम संख्या 1	यदि वित्तीय बोली में उद्धृत राशि समान है	कार्य सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र/ गैर सरकारी संगठन में कार्य अनुभव रखने वाली फर्म को, बैंक के विवेक के अधीन सौंपा जाएगा।
क्रम संख्या 2	यदि क्रमांक 1 में टाई है	यह कार्य सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र/ गैर सरकारी संगठन में पिछले तीन वर्षों में उच्च कार्य अनुभव वाली फर्म को सौंपा जाएगा।
क्रम संख्या 3	यदि क्रमांक 2 में टाई है	पिछले तीन वर्षों में अधिक औसत टर्नओवर वाली फर्म को काम सौंपा जाएगा।

- सेवा शुल्क में ऐसी सभी वस्तुएं/सामग्री/सहायक उपकरण/वर्दी/उपकरण और सफल बोलीदाता द्वारा तैनात कर्मचारियों को प्रदान किए जाने वाले अन्य शुल्क/वस्तुएं शामिल होंगी, जिनका विशेष रूप से निविदा दस्तावेज़ के विस्तृत दायरे में उल्लेख किया गया है।
- सेवा शुल्क पूरे वर्ष के दौरान तय किया जाएगा और वीडिए की वृद्धि/कमी पर भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार प्रतिशत के हिसाब से बढ़ाया/घटाया जाएगा।
- वास्तविकता को बढ़ावा देने के लिए, बोलीदाताओं को समय-समय पर भारत सरकार के मौजूदा नियमों के अधीन उचित सेवा शुल्क, ईएसआई, बोनस सहित सभी मापदंडों पर विचार करते हुए सेवा शुल्क (मूल्य बोली की मद संख्या 09 निर्धारित करने की सलाह दी जाती है। भारत सरकार के नियमों में बदलाव पर कार्यालय से शुद्धिपत्र जारी होगा।
- बैंक न्यूनतम निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक बिना कोई कारण बताए सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

संलग्नक-1

अनुभव का विवरण

क्रम	प्रदान की गई सेवा की प्रकृति	ग्राहक का नाम, पता एवं. (सरकारी/अर्ध सरकारी/बैंक/निजी निकाय)	जिस अधिकारी के अधीन कार्य कराया गया, का नाम, पूरा पता और टेलीफोन नंबर।	तैनात सुरक्षा कर्मचारियों की संख्या	दस्तावेज़ पृष्ठ संख्या

आवेदक के हस्ताक्षर  
(मुहर सहित)

अनुबंध-11 के अनुसार न्यूनतम तीन ऐसे ग्राहकों का प्रमाण पत्र संलग्न करें

## अनुबंध II

### गोपनीय

### फर्म/कंपनी के प्रदर्शन के संबंध में ग्राहक का प्रमाण पत्र सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराना

ग्राहक का नाम एवं पता

\_\_\_\_\_

मेसर्स \_\_\_\_\_

से प्राप्त सुरक्षा सेवा का विवरण

क्रम	विवरण	टिप्पणियाँ	टिप्पणी
1.	प्राप्त सुरक्षा सेवा की प्रकृति		
2.	अनुबंध संख्या और तारीख		
3.	समझौता राशि		
4.	फर्म/कंपनी के साथ कब से लेन-देन हो रहा है		
5.	उपलब्ध कराए गए सुरक्षा कर्मियों की संख्या		
6.	अनुबंध के नियमों और शर्तों के पालन के संबंध में टिप्पणियाँ		

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर  
(मुहर सहित)

स्थान  
तारीख:

**कार्य दंड खण्ड**

**भुगतान रोकना:** बैंक उस यथोचित सीमा तक भुगतान रोक सकता है, जब उसे विश्वास हो कि एजेंसी इस समझौते के अनुसार दायित्वों का उल्लंघन कर रही है। यदि उल्लंघन ऐसा है कि उसका समाधान किया जा सकता है, तो एजेंसी को कमी के समाधान के लिए 07 (सात) दिनों का नोटिस दिया जाता है। एक बार जब सेवा प्रदाता कमी को ठीक कर लेता है, तो बैंक इस कारण से रोकी गई राशि वापस कर देगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि, ऐसी रोकी गई राशि पर कोई ब्याज नहीं लगेगा।

**भुगतान से कटौती:** बैंक एजेंसी के बिल से एसएलए के अनुसार उल्लिखित जुर्माने के दावों, लागत या दावे, हानि, क्षति, एजेंसी द्वारा की गई दोषपूर्ण सेवाओं आदि के कारण सीधे बैंक द्वारा खर्च की गई राशि('प्रत्यक्ष क्षति'), जो एजेंसी की लापरवाही से उत्पन्न होती है, की कटौती कर सकता है। यदि एजेंसी उल्लंघन का समाधान करने में विफल रहती है तो, जैसा कि उल्लेख किया गया है, बैंक के पास बिना किसी पूर्व सूचना के, एजेंसी के बिल से ऐसी राशि काटने का विवेकाधिकार है, और यह अधिकार इस समझौते के तहत बैंक को उपलब्ध किसी भी अन्य अधिकार के अतिरिक्त है।

**परिचालन कार्य दंड :** परिचालन आवश्यकताओं तक सीमित कार्य दंड निम्नानुसार निर्दिष्ट हैं:

क्रम	सेवा स्तर समझौता (एसएलए)	विफलता सहनशीलता स्तर	जोखिम	प्रति माह जुर्माना
	सामान्य			
1	निर्धारित क्षेत्र में चोरी/चोरी की नियमित रूप से निगरानी करने में विफलता।	शून्य	उच्च	बिल मूल्य के न्यूनतम 0.5% से अधिकतम 3%
2	कर्मचारी ड्यूटी/पोस्ट से गायब नहीं रहेंगे।	शून्य	उच्च	प्रति बिल मूल्य के न्यूनतम 0.5% से अधिकतम 3%.
3	सुरक्षा प्रबंधक को घटनाओं की तुरंत सूचना देने में विफलता	शून्य	उच्च	प्रति बिल मूल्य के न्यूनतम 0.5% से अधिकतम 3%.
4	समय सतर्क रहेंगे	शून्य	उच्च	प्रति बिल मूल्य के न्यूनतम 0.5% से अधिकतम 3%।

5	स्टाफ द्वारा किसी कर्मचारी/आगंतुकों आदि के साथ दुर्व्यवहार ।	शून्य	मध्यम	प्रति बिल मूल्य के न्यूनतम 0.3% से अधिकतम 3%
6	शिफ्ट परिवर्तन के दौरान कर्तव्यों को सौंपने और संभालने में अधिकारी/पर्यवेक्षक की विफलता और एसओपी का पालन करने में विफलता	शून्य	मध्यम	प्रति बिल मूल्य के न्यूनतम 0.3% से अधिकतम 3%।
7	बैंक की संपत्ति/उपकरण का दुरुपयोग	शून्य	मध्यम	प्रति बिल मूल्य के न्यूनतम 0.3% से अधिकतम 3%
8	प्रशिक्षण एजेंसी द्वारा बैंक से अनुमोदित कैलेंडर के अनुसार आयोजित किया जाएगा	न्यूनतम एक एक माह में सभी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण सत्र- (शून्य)	कम	प्रति बिल मूल्य के न्यूनतम 0.2% से अधिकतम 2%
9	पाली में चौबीसों घंटे गश्त की जा रही है	गश्त न्यूनतम दिन/रात के दौरान एक घंटे में 1 बार - (शून्य)	कम	प्रति बिल मूल्य के न्यूनतम 0.2% से अधिकतम 2%
10	टीम के प्रदर्शन और अनुशासन को हर समय बनाए रखने के लिए वरिष्ठ सुरक्षा गार्ड / शिफ्ट आईसी	शून्य	कम	प्रति बिल मूल्य के न्यूनतम 0.2% से अधिकतम 2%
11	स्मार्ट टर्नआउट, हर समय आईडी कार्ड के साथ अच्छी वर्दी।	शून्य	कम	प्रति बिल मूल्य के न्यूनतम 0.2% से अधिकतम 2%

### प्रति माह जुर्माना

एस एल ए	भारी जोखिम	मासिक बिल मूल्य का न्यूनतम 0.5% से अधिकतम 3% और कुल बिल मूल्य का 10% से अधिक नहीं ।
	मध्यम जोखिम	मासिक बिल मूल्य का न्यूनतम 0.3% से अधिकतम 3% और कुल बिल मूल्य का 10% से अधिक नहीं ।
	निचली पंक्ति	मासिक बिल मूल्य का न्यूनतम 0.2% से अधिकतम 2% और कुल बिल मूल्य का 10% से अधिक नहीं ।

**कार्यान्वयन:** उपर्युक्त एसएलए की निगरानी प्रोटोकॉल और सुरक्षा सेल द्वारा की जाएगी और दंडात्मक कार्यवाही, यदि कोई हो तो, की जाएगी।

**कार्य दंड (वैधानिक अनुपालन):** वैधानिक अनुपालन तक सीमित कार्य दंड इस प्रकार निर्दिष्ट हैं:

क्रम	सांविधिक आवश्यकताएं	असफलता सहनशक्ति स्तर	जोखिम	प्रति माह जुर्माना
1	प्रति दिन सेवा के अधिकतम घंटों की संख्या 8 घंटे से संबंधित वैधानिक आवश्यकता का अनुपालन करेगा।	शून्य	उच्च	प्रति बिल मूल्य के न्यूनतम 0.5% से अधिकतम 3%
2	प्रत्येक पाली में 100% सुरक्षा कर्मचारी तैनात करने में विफलता।	98% से कम नहीं होना चाहिए पर उपस्थिति दैनिक पाली के आधार पर- (शून्य)	उच्च	प्रति बिल मूल्य के न्यूनतम 0.5% से अधिकतम 3%
3	उच्च ग्रेड के कर्मचारियों को निचले ग्रेड में तैनात नहीं किया जाएगा।	शून्य	उच्च	प्रति बिल मूल्य के न्यूनतम 0.5% से अधिकतम 3%
4	का अनुपालन करने में विफलता लगने लायक नियम	शून्य	मध्यम	प्रति बिल मूल्य के न्यूनतम 0.3% से अधिकतम 3%
5	साप्ताहिक अवकाश दिए बिना स्टाफ/कर्मचारियों को तैनात करना ।	शून्य	उच्च	प्रति बिल मूल्य के न्यूनतम 0.5% से अधिकतम 3%
6	उपस्थिति रजिस्टर को इस प्रकार बनाए रखा जाएगा कि कर्मचारियों की दैनिक ट्रैकिंग संभव हो सके।	शून्य	उच्च	प्रति बिल मूल्य के न्यूनतम 0.5% से अधिकतम 3%
7	प्रत्येक को एक रजिस्टर रखते हुए वैधानिक आवश्यकता दस्तावेज प्रदान किए जाने चाहिए, अर्थात - वेतन/छुट्टी/साप्ताहिक छुट्टी/उपस्थिति।	शून्य	उच्च	प्रति बिल मूल्य के न्यूनतम 0.5% से अधिकतम 3%
8	विक्रेता अनुपालन लेखापरीक्षा में भागीदारी ।	शून्य	उच्च	प्रति बिल मूल्य के न्यूनतम 0.5% से अधिकतम 3%
9	वैधानिक आवश्यकता दस्तावेज समय पर उपलब्ध कराए जाने चाहिए, यानी - पीएफ/ईएसआई	हर महीने की 5 तारीख से पहले	मध्यम	प्रति बिल मूल्य के न्यूनतम 0.3% से अधिकतम 3%

10	प्रत्येक माह की 10 तारीख तक वेतन का भुगतान करने में विफलता	हर महीने 10 तारीख को या उससे पहले	मध्यम	प्रति बिल मूल्य के न्यूनतम 0.3% से अधिकतम 3%
----	--	-----------------------------------	-------	--

### प्रति माह जुर्माना

एस	भारी जोखिम	मासिक बिल मूल्य का न्यूनतम 0.5% से अधिकतम 3% और कुल बिल मूल्य का 5% से अधिक नहीं ।
एल	मध्यम जोखिम	मासिक बिल मूल्य का न्यूनतम 0.3% से अधिकतम 3% और कुल बिल मूल्य का 5% से अधिक नहीं ।
ए	कम जोखिम	मासिक बिल मूल्य का न्यूनतम 0.2% से अधिकतम 2% और कुल बिल मूल्य का 5% से अधिक नहीं ।



**सुरक्षा गार्ड और पर्यवेक्षकों की पोस्टिंग विवरण (A-सशस्त्र, UA-निहत्थे, S-पर्यवेक्षक)**

- (i) **बीएमओपी, भा.रि.बैं. , पटना (UA: 11, S-01)** - सभी सात दिनों में 3 शिफ्टों में 24 घंटे निगरानी (06:00 बजे से 14:00 बजे, 14:00 बजे से 22:00 बजे और 22:00 बजे से 06:00 बजे)। एक सप्ताह में। प्रत्येक शिफ्ट 8 घंटे के लिए होगी, जिसका सख्ती से पालन सुनिश्चित करते हुए प्रति शिफ्ट में दो गार्ड, 09:30 बजे से तीन निहत्थे गार्ड सुनिश्चित करने होंगे। से 17:30 बजे तक, सुबह और दोपहर की पाली में एक-एक महिला गार्ड और 09:30 बजे से एक पर्यवेक्षक। 17:30 बजे तक.
- (ii) **बैंक रोड, पटना में भा.रि.बैं. के वरिष्ठ अधिकारी क्वार्टर (A-01; UA-05; S -01)** - सप्ताह में सभी सात दिनों में 3 शिफ्टों में 24 घंटे निगरानी। प्रत्येक शिफ्ट 8 घंटे के लिए होगी, जिसका सख्ती से पालन करते हुए प्रति शिफ्ट में दो गार्ड और रात की शिफ्ट में एक सशस्त्र गार्ड सुनिश्चित करना होगा।
- (iii) **लोहियानगर , पटना में भा.रि.बैं. अधिकारी क्वार्टर (A-06; UA-06; S-01)** - सप्ताह में सभी सात दिनों में 3 पालियों में 24 घंटे निगरानी। प्रत्येक शिफ्ट 8 घंटे के लिए होगी, जिसमें प्रति शिफ्ट में दो सशस्त्र गार्ड और दो निहत्थे गार्ड और दिन की शिफ्ट में एक पर्यवेक्षक सुनिश्चित करना होगा।
- (iv) **राजेंद्र नगर, पटना में भा.रि.बैं. स्टाफ क्वार्टर (A -01; UA-05; S -01)** - सप्ताह में सभी सात दिनों में 3 शिफ्टों में 24 घंटे निगरानी। प्रत्येक शिफ्ट 8 घंटे के लिए होगी, जिसका सख्ती से पालन किया जाएगा जिसमें प्रति शिफ्ट में दो गार्ड, रात की शिफ्ट में एक सशस्त्र गार्ड और दिन की शिफ्ट में एक पर्यवेक्षक सुनिश्चित किया जाएगा।
- (v) **कुर्जी , पटना में भा.रि.बैं. स्टाफ क्वार्टर (A-01; UA-05; S -01)** - सप्ताह में सभी सात दिनों में 3 शिफ्टों में 24 घंटे निगरानी। प्रत्येक शिफ्ट 8 घंटे के लिए होगी, जिसका सख्ती से पालन किया जाएगा, जिसमें प्रति शिफ्ट में दो गार्ड, रात की शिफ्ट में एक सशस्त्र गार्ड और दिन की शिफ्ट में एक पर्यवेक्षक सुनिश्चित किया जाएगा।
- (vi) **बहादुरपुर , पटना में भा.रि.बैं. स्टाफ क्वार्टर (A-01; UA-05; S 01)** - सप्ताह में सभी सात दिनों में 3 शिफ्टों में 24 घंटे निगरानी। प्रत्येक शिफ्ट 8 घंटे के लिए होगी, जिसका सख्ती से पालन किया जाएगा, जिसमें प्रति शिफ्ट में दो गार्ड, रात की शिफ्ट में एक सशस्त्र गार्ड और दिन की शिफ्ट में एक पर्यवेक्षक सुनिश्चित किया जाएगा।
- (vii) **दीघा , पटना में भा.रि.बैं. स्टाफ क्वार्टर (A-01, UA-011; S-01)** - सप्ताह में सभी सात दिनों में 3 शिफ्टों में 24 घंटे निगरानी। प्रत्येक शिफ्ट 8 घंटे के लिए होगी, जिसका सख्ती से पालन करते हुए प्रति शिफ्ट में चार गार्ड और रात की शिफ्ट में एक सशस्त्र गार्ड सुनिश्चित करना होगा।

## प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की सूची जाँचें

सीनियर	दस्तावेज़
1.	आवेदक के आधिकारिक लेटरहेड में पैनल में शामिल होने का अनुरोध करने वाला औपचारिक पत्र
2.	विधिवत भरा हुआ एवं हस्ताक्षरित आवेदन पत्र
3.	ट्रेड लाइसेंस/निगमन प्रमाणपत्र
4.	ग्राहक के सीलबंद आधिकारिक कवर में तीन (03) अलग-अलग ग्राहकों से ग्राहक के प्रमाण पत्र-अनुलग्नक- II
5.	संगठन का नाम एवं पता-  (i) पता और टेलीफोन नंबर पंजीकृत कार्यालय (ii) उस कार्यालय का पता जिसके माध्यम से भा.रि.बैं. के साथ संवाद किया जाएगा। प्राधिकृत अधिकारी का नाम और उसका टेलीफोन नंबर भी बताएं
6.	संगठन का प्रकार- स्थापना की तिथि। कृपया प्रासंगिक दस्तावेज़ संलग्न करें
7.	पीएसए का नाम
8.	पंजीकरण का विवरण (फर्म, कंपनी आदि) पंजीकरण प्राधिकारी, तिथि, संख्या आदि।
9.	पीएसए को मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन प्रस्तुत करना होगा
10.	अखिल भारतीय (न्यूनतम तीन राज्य) उपस्थिति दस्तावेज़ और शाखा/कार्यालय पटना में। बिहार राज्य सहित प्रत्येक राज्य के लिए वैध पीएसएआरए लाइसेंस सहित प्रासंगिक दस्तावेज़ संलग्न करें ।
11।	31 मार्च , 2023 तक कम से कम 05 वर्षों तक लगातार व्यवसाय (सुरक्षा गार्ड प्रदान करना) में होना चाहिए। पिछले पांच वर्षों के दौरान उनके द्वारा किए गए कार्यों का विवरण दिखाते हुए ग्राहकों की सूची प्रस्तुत करें। सूची में ग्राहक का नाम, निष्पादित कार्य का मूल्य, कार्य की शुरुआत और समाप्ति की तारीख, देरी के कारण, यदि कोई हो, जैसे विवरण शामिल होंगे। एजेंसी को न्यूनतम पांच वर्ष के अनुभव के समर्थन में दस्तावेज़ी साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए । दस्तावेज़ी प्रमाण की प्रतियां जैसे कि निगमन प्रमाणपत्र, आईटी रिटर्न, पैन कार्ड, आदि संलग्न करना होगा।
12.	अनुबंध की अनुमानित लागत लगभग तीन करोड़ पांच लाख (₹3.05 करोड़) है। एजेंसी को 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले पिछले पांच वर्षों के दौरान समान कार्यों (सुरक्षा गार्ड प्रदान करने) को सफलतापूर्वक पूरा करने का अनुभव प्रस्तुत करना आवश्यक है (कार्य आदेशों की प्रतियां जमा करें):  (i) तीन समान कार्य (सुरक्षा गार्ड प्रदान करना) प्रत्येक की लागत ₹1,21,65,653/- (अनुमानित लागत का 40%) से कम नहीं होनी चाहिए।  ii) दो समान कार्य (सुरक्षा गार्ड प्रदान करना) प्रत्येक की लागत ₹1,52,07,066- (अनुमानित लागत का 50%) से कम नहीं होनी चाहिए।  iii) एक समान कार्य (सुरक्षा गार्ड प्रदान करना) जिसकी लागत ₹2,43,31,306/- (अनुमानित लागत का 80%) से कम नहीं होनी चाहिए।

13.	तैनाती के लिए संगठन में उपलब्ध सुरक्षा कर्मियों का विवरण (प्रमाण प्रस्तुत करना होगा)।  (i) सुरक्षा पर्यवेक्षक (पूर्व रक्षा/अर्धसैनिक) (ii) सुरक्षा गार्ड
14.	न्यूनतम तीन विभिन्न सरकारी कार्यालयों में मौजूदा तैनाती का अनुभव। संस्थान/निकाय/प्रतिष्ठान (आवासीय परिसर सहित) या पांच सितारा होटलों में प्रत्येक में न्यूनतम 40 सुरक्षा गार्ड की तैनाती के साथ। पीएसए को तीन संदर्भ साइटें प्रस्तुत करनी चाहिए और भा.रि.बैं. के अनुरोध पर रेफरी को भा.रि.बैं. की संतुष्टि के लिए पीएसए के प्रदर्शन के बारे में गवाही देनी चाहिए। विवरण अनुबंध-1 के अनुसार प्रदान किया जा सकता है। कृपया कम से कम तीन ग्राहकों, अधिमानतः सरकारी प्रमाण पत्र संलग्न करें। / सार्वजनिक क्षेत्र के ग्राहक सेवा का लाभ उठा रहे हैं।

15.	पिछले 3 वित्तीय वर्ष यानी 2019-20/2020-21/2021-22/2022-23 के लिए ऑडिटेड बैलेंस शीट। 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वित्तीय वर्षों में पीएसए का औसत कारोबार रुपये से कम नहीं होना चाहिए। प्रत्येक तीन करोड़ पांच लाख (₹3.05 करोड़)। 2020-21, 2021-22, 2022-23 की ऑडिटेड बैलेंस शीट द्वारा समर्थित।
16.	बैंकर्स का नाम और पता। कृपया वित्तीय स्थिति के संबंध में बैंकर्स से प्राप्त प्रमाणपत्र संलग्न करें।
17.	फर्म/कंपनी की पैन जानकारी। अंतिम आयकर क्लियरेंस प्रमाणपत्र की एक प्रति संलग्न की जा सकती है। इनकम टैक्स रिटर्न (i) 2020-21 (ii) 2021-22 (iii) 2022-23
18.	पीएसए के पास विश्वसनीय पर्यवेक्षी अवसंरचना और नेटवर्क होना चाहिए।
19.	ईएसआई कॉर्पोरेशन से प्रमाणपत्र (नवीनतम)।
20.	ईपीएफ और विविध के तहत ईपीएफ संगठन से प्रमाण पत्र। प्रावधान अधिनियम. 1952 (नवीनतम)।
21.	अनुबंध श्रम अधिनियम (विनियमन एवं उन्मूलन) 1970 के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र।
22.	सेवा कर के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र।
23.	पीएसए के पास न्यूनतम 500 सुरक्षा गार्ड (तैनात) होने चाहिए। (ईपीएफओ, ईएसआईसी चालान की प्रति, तैनात सुरक्षा गार्डों की संख्या दर्शाने वाली सुरक्षा सेवाओं के लिए वैध कार्य आदेश संलग्न किए जाने चाहिए)
24.	यदि वह प्रदान की गई सेवा से संबंधित किसी मुकदमे या किसी लंबित सिविल मुकदमे में शामिल है तो बताएं। यदि आवश्यक हो तो एक अलग शीट संलग्न करें।
25.	क्या फर्म/कंपनी न्यूनतम वेतन अधिनियम, संबंधित अन्य प्रावधानों का पालन कर रही है भविष्य निधि कटौती या सेवा प्रदान करने से संबंधित कोई अन्य कानूनी प्रावधान (विभिन्न प्रावधानों/अधिनियमों के अनुपालन के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने हैं)
26.	'निजी सुरक्षा एजेंसी (विनियमन) अधिनियम-2005' के तहत पुलिस अधिकारियों से लाइसेंस। पीएसएआरए-2005 लाइसेंस। बिहार राज्य के लिए PSARA-2005 लाइसेंस कृपया यह भी स्पष्ट करें कि तैनात कर्मचारियों के पूर्ववृत्त का पुलिस सत्यापन किया जा रहा है या नहीं।

27.	पीएसए का पटना में एक कार्यालय होना चाहिए, टेलीफोन के साथ और पटना में 24X7 नियंत्रण कक्ष (आपातकालीन प्रतिक्रिया कक्ष) होना चाहिए (विवरण प्रदान करें)
28.	पीएसए के पास सुरक्षा गार्डों और महिला निगरानी सह सुरक्षा गार्डों के प्रशिक्षण के लिए प्रभावी बुनियादी ढांचा होना चाहिए और प्रशिक्षण प्रतिष्ठान चलाने के लिए किसी भी राज्य के पीएसएआरए नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा जारी वैध लाइसेंस होना चाहिए। प्रशिक्षण संस्थान में शारीरिक प्रशिक्षण सहित पूर्ण प्रशिक्षण अवसंरचना होनी चाहिए। पीएसएआरए-2005 अधिनियम के अनुसार, सुरक्षा गार्डों को न्यूनतम निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। प्रशिक्षण संस्थान के लाइसेंस की वैधता निविदा की अवधि तक होनी चाहिए। पीएसए को सुरक्षा गार्ड/पर्यवेक्षकों की तैनाती से पहले प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र संलग्न/प्रस्तुत करना होगा।
29.	पीएसए के पास आईएसओ 9001-2008 या एसए 8000 या ओएचएसएस 1800 प्रमाणीकरण में से कोई एक प्रमाणन होना चाहिए।
30.	रु. का सॉल्वेंसी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके बैंकर से 3.05 करोड़, सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट की जारी तिथि 31 मार्च, 2023 से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए
31.	बैंक खाता (एमआईसीआर कोड और खाता संख्या) जहां नियोजित सुरक्षा गार्डों के संबंध में फर्म द्वारा भुगतान प्राप्त किया जाएगा। यह भी बताएं कि क्या फर्म इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (ईसीएस)-आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने के लिए तैयार है
32.	अन्य दस्तावेज़, यदि कोई हो:

उन कृत्यों और चूकों की सूची जिनके लिए ठेकेदार के श्रम विनियमों के अनुसार जुर्माना लगाया जा सकता है

1. जानबूझकर अवज्ञा या अवज्ञा, चाहे अकेले या अन्य के साथ मिलकर।
2. भारतीय रिज़र्व बैंक के व्यवसाय या संपत्ति के साथ ठेकेदारों की मिलिभगत से चोरी, धोखाधड़ी या बेईमानी।
3. रिश्वत या कोई अवैध परितोषण लेना या देना।
4. आदतन देर से आना।
5. नशे में लड़ाई-झगड़ा, उपद्रवी या उच्छृंखल या उदासीन व्यवहार।
6. आदतन लापरवाही
7. उस क्षेत्र के निकट या आसपास धूम्रपान करना जहां ज्वलनशील या अन्य सामग्री बंद हो या कार्यालय/आवासीय परिसर में।
8. आदतन अनुशासनहीनता
9. प्रगतिरत कार्य या भारतीय रिज़र्व बैंक या ठेकेदार की संपत्ति को नुकसान पहुँचाना।
10. ड्यूटी पर सोना
11. काम में लापरवाही या धीमा करना
12. नाम, उम्र, पिता का नाम आदि के संबंध में गलत जानकारी देना।
13. नियोक्ताओं द्वारा प्रदत्त वेतन कार्डों को आदतन खो देना।
14. झूठी शिकायतें और/या भ्रामक बयान देना।
15. प्रतिष्ठानों के परिसर के भीतर व्यापार में संलग्न होना।
16. कर्मचारियों के व्यावसायिक मामलों का कोई भी अनधिकृत खुलासा।
17. नियोक्ताओं की पूर्व अनुमति के बिना परिसर के अंदर बैठक आयोजित करना।
18. परिसर के भीतर काम के घंटों के दौरान किसी कामगार या नियोक्ता को धमकाना या डराना।

(जारीकर्ता बैंक के नाम से खरीदे गए उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

स्थान : \_\_\_\_\_

तारीख : \_\_\_\_\_

क्षेत्रीय निदेशक

भारतीय रिज़र्व बैंक,

मा.सं.प्र.वि.

पटना

आदरणीय महोदय,

**निष्पादन सुरक्षा जमा के लिए बैंक गारंटी**

**भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना के कार्यालय एवं आवासीय परिसर में निजी सुरक्षा गार्ड की तैनाती के लिए अनुबंध**

जबकि

भारतीय रिज़र्व बैंक, जिसका केंद्रीय कार्यालय शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई (इसके बाद "भा.रि.बैं." कहा जाएगा) में है, ने पटना में स्थित भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यालय और आवासीय परिसर में निजी सुरक्षा गार्डों की तैनाती के लिए "वार्षिक सेवा अनुबंध" (इसके बाद "अनुबंध" कहा जाएगा) मेसर्स \_\_\_\_\_ (ठेकेदार का नाम) को (इसके बाद इसे "उक्त ठेकेदार" कहा जाएगा, जिसकी अभिव्यक्ति में इसके उत्तराधिकारी और समनुदेशित शामिल होंगे) प्रदान किया है।

और जबकि ठेकेदार उक्त अनुबंध में शामिल नियमों और शर्तों को पूरा करने के लिए अनुबंधित शर्तों के अनुसार भा.रि.बैं. को निष्पादन गारंटी के रूप में ₹ \_\_\_\_\_ (रुपये \_\_\_\_\_) (राशि अंकों और शब्दों में) की कुल राशि जमा करने के लिए बाध्य है। हम, \_\_\_\_\_ (बैंक का नाम), (बाद में इसे "बैंक" कहा जाएगा), मेसर्स \_\_\_\_\_ (ठेकेदार) के अनुरोध पर, अनुबंध के नियमों और शर्तों को पूरा करने के लिए भा.रि.बैं. को \_\_\_\_\_ रुपये से अनधिक राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं।

अब यह गारंटी गवाह है

1. यदि भा.रि.बैं. इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ठेकेदार ने अनुबंध की उक्त शर्तों के तहत अपने दायित्वों का पालन नहीं किया है या उसका उल्लंघन किया है, जिसका निष्कर्ष हमारे साथ-साथ उक्त ठेकेदार पर भी बाध्यकारी होगा तो हम (बैंक का नाम) इसके द्वारा भा.रि.बैं., उनके उत्तराधिकारियों, कार्यवाहकों को बिना किसी देरी के ₹ \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ रुपये मात्र) या भा.रि.बैं. द्वारा मांगी गई किसी भी निम्नतर राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं। हमारी गारंटी को उक्त अनुबंध के तहत ठेकेदार के दायित्वों के उचित प्रदर्शन के लिए निष्पादन गारंटी राशि के बराबर माना जाएगा, बशर्ते, ऐसी राशि के खिलाफ हमारी देनदारी ₹ \_\_\_\_\_ (रुपये मात्र) की राशि से अनधिक होगी।

2. हम यह वचन देने और पुष्टि करने के लिए भी सहमत हैं कि उपर्युक्त राशि ₹ \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ मात्र) से अनधिक होगी, जिसका भुगतान हमारे द्वारा बिना किसी आपत्ति या विरोध के, केवल भा.रि.बैं. से लिखित मांग करने पर किया जाएगा और हम कोई और सबूत नहीं मांगेंगे और भा.रि.बैं. का नोटिस हमारे लिए निर्णायक और बाध्यकारी होगा और हमारे द्वारा किसी भी संबंध या तरीके से सवाल नहीं उठाया जाएगा। किसी भी अदालत, न्यायाधिकरण या मध्यस्थ के समक्ष लंबित किसी भी मुकदमे या कार्यवाही में ठेकेदार द्वारा उठाए गए किसी भी विवाद/विवाद के बावजूद बैंक भा.रि.बैं. को मांगे गए किसी भी पैसे का भुगतान करेगा और इस गारंटी के तहत दायित्व पूर्ण और स्पष्ट होगा। हम उपरोक्तानुसार नोटिस प्राप्त होने की तारीख से एक सप्ताह की अवधि के भीतर भा.रि.बैं. द्वारा दावा की गई राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं।

3. हम पुष्टि करते हैं कि इस गारंटी के तहत भा.रि.बैं. के प्रति हमारा दायित्व भा.रि.बैं. और ठेकेदार के बीच समझौते या समझौतों से स्वतंत्र होगा।

4. भा.रि.बैं. की लिखित पूर्व सहमति के बिना यह गारंटी हमारे द्वारा रद्द नहीं की जाएगी। हम इसके द्वारा आगे सहमत हैं कि -

क. उक्त समझौते की शर्तों को लागू करने में या उक्त अनुबंध और/या इसके तहत निर्धारित किसी भी नियम और शर्तों के अनुपालन में भा.रि.बैं. की ओर से कोई भी रोक या कमीशन या कोई समय देना या कोई रियायत दिखाना भा.रि.बैं. द्वारा ठेकेदार को या उसके संबंध में किसी भी अन्य मामले में इस गारंटी के तहत किसी भी तरह से हमारे दायित्व को पूरा नहीं करेगा। यह गारंटी केवल ठेकेदार द्वारा उनके दायित्वों के निष्पादन और ऐसा करने में उनकी विफलता की स्थिति में, हमारे द्वारा ₹ \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ मात्र) से अनधिक की राशि के भुगतान द्वारा ही पूरी की जाएगी।

ख. इन शर्तों के तहत हमारी देनदारी ₹ \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ मात्र) की राशि से अनधिक होगी।

ग. इस समझौते के तहत हमारा दायित्व हमारे उक्त घटकों/ग्राहकों की ओर से किसी भी कमजोरी या अनियमितता या उनके दायित्वों या हमारे उक्त घटकों के संविधान में विघटन या परिवर्तन से प्रभावित नहीं होगा।

घ. यह गारंटी दोष देयता अवधि के बाद 60 दिनों तक लागू रहेगी, बशर्ते कि यदि भा.रि.बैं. ऐसा चाहता है, तो इस गारंटी को उनके द्वारा यहां दिए गए समान नियमों और शर्तों पर आगे की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जाएगा।

ङ. यदि इन शर्तों को यहां ऊपर दिए गए तिथि तक नवीनीकृत नहीं किया जाता है या जिस तिथि को हमारे उक्त घटक अपने दायित्वों का पालन करते हैं, जो भी तारीख बाद में हो, जिसके लिए भा.रि.बैं. द्वारा लिखित प्रमाण पत्र ही एकमात्र निर्णायक प्रमाण है, तो इन शर्तों के तहत हमारी देनदारी समाप्त हो जाएगी। यदि हमारे खिलाफ कोई दावा या मुकदमा या कार्रवाई निर्दिष्ट अवधि या किसी विस्तारित अवधि के भीतर दायर नहीं की जाती है, इस गारंटी के तहत हमारे खिलाफ भा.रि.बैं. के सभी अधिकार जब्त कर लिए जाएंगे और हमें इसके तहत हमारे सभी दायित्वों और देनदारियों से मुक्त कर दिया जाएगा।

इसके साक्ष्य में, बैंक की तरफ से मैंने/हमने \_\_\_\_\_ (माह) (वर्ष) को इस गारंटी पर हस्ताक्षर और मुहर लगा दी है और इसके साथ यह विधिवत अधिकृत हो गया है।  
\_\_\_\_\_ के लिए और की ओर से (बैंक का नाम)

बैंक के अधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर

नाम:

पदनाम:

बैंक की मोहर/मुहर

उपरोक्त नामित द्वारा बैंक के लिए और उसकी ओर से निम्नलिखित की उपस्थिति में हस्ताक्षरित, सीलबंद और वितरित किया गया:

गवाह 1

हस्ताक्षर .....

नाम .....

पता .....

(ध्यान दें: इस गारंटी के लिए उस राज्य में लागू स्टॉप शुल्क की आवश्यकता होगी, जहां इसे निष्पादित किया जाता है और उस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा जिसके हस्ताक्षर और प्राधिकरण को सत्यापित किया जाएगा)।